

[Shri Morarji R. Desai]

other agencies for regional cooperation such as ESCAP and ASEAN. The very flexibility and informality of the group may be expected to provide a suitable framework for furthering our bilateral and multilateral contacts in the Asian and Pacific region. We shall associate ourselves actively in the follow-up measures which are planned by the working groups in order to make the Delhi meeting in 1980 a worthy successor to the Sydney meeting.

विपक्ष के नेता (श्री भोला पासवान शास्त्री) : उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी सिडनी गये थे एशियन एंड पैसिफिक रिजनल कामनवैलथ कांफ्रेंस अटेंड करने के लिए। यह मुझे मालूम था। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि वे यहां सकुशल लौट आए। सिडनी में बम फटा था उसके बारे में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था और उस दिन मैं पटना था। मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी स्वस्थ और सकुशल दिल्ली पहुंच गए हैं। इसकी इस हाउस को भी खुशी है और हम लोगों को भी खुशी है। इस वक्त में अपनी खुशी को जाहिर करने से नहीं रोक सका इसलिए मैं खड़ा हो गया।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): Sir, we are all very thankful that our Prime Minister has returned safe and sound. After the first explosion, the security measures taken by the Fraser Government which invited the delegates—the Australian Government—proved effective so far as the dignitaries are concerned but, Sir, I would like to know whether any definite conclusion has been drawn regarding those behind this explosion because other Indian diplomats and officers had been subjected by a certain group in that country to this type of terroristic activities. Also I would like to know whether some remedial measures will be taken in our own country regarding those elements.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): The statement as such is not under discussion.

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, हम लोग अपने बीच में प्रधान मंत्री जी को देख कर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह से घटना हुई थी उस घटना से न केवल सदन के सदस्यों को बल्कि इस देश को बड़ी चिन्ता हुई थी। प्रधान मंत्री जी स्वस्थ और सकुशल वहां से लौट आए इससे हम सब को बड़ी प्रसन्नता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग यह जानना चाहते थे कि इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं उसके विषय में कुछ व्यापक रूप से प्रधान मंत्री जी बताते। हो सकता है कुछ दिक्कत हो उसके बताने में। राष्ट्र के सभी लोगों का ध्यान इस ओर गया था क्योंकि यह एक बड़ा गम्भीर विषय है। इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री जी के स्वस्थ और सकुशल अपने देश लौट आने के लिए अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूँ।

श्री मोरारजी आर० देसाई : मैं आभार मानता हूँ इन शुभेच्छाओं और सद्भावनाओं के लिए। इसी के बल पर ही मैं बच जाता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ।

RESOLUTION REGARDING GIVING PREFERENTIAL TREATMENT TO WEAKER SECTIONS OF SOCIETY IN APPOINTMENTS TO HIGHEST ECHELONS OF GOVERNMENT SERVICES—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): We shall now continue discussion on the Resolution. Shri Mahanti.

SHRI BHAIKAB CHANDRA MAHANTI (Orissa): Sir, I rise to support the spirit behind the Resolution. I am afraid I am not in a position to accept the Resolution in its letters because of the inherent difficulties that are there. There are economic

unadjustabilities in our socio-economic field, and the worst thing is that the people who are in view of the Mover of the Resolution are not sufficiently educated as yet. It is not their fault. But the fact remains that they are not educated to the extent necessary. For argument sake, let us think of the persons belonging to the Harijan community, Adivasi community, minority communities, women, etc. for all the Services. Now, are there enough qualified people among the Harijans, Adivasis, Muslims and the women to fill up those posts? Besides, Sir, this is the age of technology and science. In spite of all that has been done so far, there are not enough people among the Adivasis, Harijans, Muslims and women to man offices in technological departments, scientific departments, military and so many other departments.

Sir, no man, living or dead, knew the people of India, and their problems—and more particularly the people of the weaker sections, the Harijans, the tribals, the Scheduled Castes and the Muslims—as Mahatma Gandhi did. Nobody can claim either that he understands them more, or their problems, than Mahatma Gandhi. I do not want to take much time of the House. I would only finish my speech by quoting Mahatma Gandhi book *India Of My Dreams*. Writing in *Young India* on 29-5-24, he says: "So far as employment in the Government departments is concerned, I think it will be fatal to good government, if we introduce there the communal spirit. For administration to be efficient it must always be in the hands of the fittest. There should be certainly no favouritism. But if we want five engineers we must not take one from each community but we must take the fittest five even if they were all Musalmans or all Parsis. The lowest posts must, if need be, filled by examination by an impartial board consisting of men belonging to different communities. But distribution of seats should never be according to the proportion of the numbers of each

community. The educationally backward communities will have a right to receive favoured treatment in the matter of education at the hands of the national Government. This can be secured in an effective manner. But those who aspire to occupy responsible posts in the Government of the country can only do so if they pass the required test." My submission, therefore, would be that we should take all possible steps to see that our brothers and sisters among the weaker sections of the society, of the backward classes tribals and Muslims, get all facilities and scope for education. We should fix a target date, 10 years or 12 years or 15 years for this purpose, so that they can have no cause for complaint that the necessary facilities have been denied to them. And when they come up to the standard, there should be no difficulty in absorbing them, and there should be no reason for going in for this kind of remedy, as has been suggested by the mover of the Resolution, that we should have even constitutional changes to give this protection or these safeguards to the minority communities or the members of the weaker sections that Thirty years have gone. Have we not the experience of the constitutional provision in regard to effective implementation of even compulsory primary education? We have failed to do it. And if we go on bringing in this kind of constitutional provision it will be impractical. It will be only causing further bitterness among the weaker sections. Therefore, my submission once again would be, let us prepare the ground so that they may be properly educated and become qualified for the posts. Of course, there is a complaint that even in class IV service of the Government, where not much of education is required, there is discrimination against people from these sections of the society, the weaker sections, the tribals and others. Even in certain districts where they are available in plenty, for reasons known to all of us, justice is not being done to them. In such cases, of course, adequate measures should be taken

Treatment

[Shri Bhairab Chandra Mohanti]

to see that justice is done to them. And why only 60 per cent? Why not even cent per cent of the posts go to them? But what about posts where a certain qualification is laid down? Suppose we adopt this Resolution today. Do we mean to say that there would be no basic qualification for the posts in Government services, in the technological department, in the medical department, in the engineering department? The fact remains that for certain posts, reservations are there, and yet there are not sufficient number of persons from among these classes of people to fill those posts. Therefore, I would only plead with the mover of the Resolution that if the Resolution is to be adopted, let him accept my suggestion that the ground be prepared so that we can in 10 years or 15 years see that the Harijans, the backward classes, Muslims and other minorities get adequate education as this alone will qualify them for these higher posts. I am sure Mr. Rabi Ray when he tabled this Resolution did not have in mind the posts in the army, in the technological and scientific departments. The UPSC reports and even the State Public Service Commission reports show that even where reservations have been made, the unfortunate situation today is that there are not sufficient educated and qualified people among the weaker sections of the society who can be considered fit for these posts

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) :

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री रबी राय जी ने जो यह प्रश्न उठाया है उसका समर्थन करता हूँ कि जो गैर सरकारी प्रस्ताव है कि पिछड़ों को विशेष अवसर दिया जाए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश की राजनीति में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने पिछड़ा को विशेष अवसर का सिद्धांत दिया जाए इसका संघर्ष चलाया था। क्योंकि हिन्दुस्तान की 80% जमीन का इस्तेमाल हिन्दुस्तान को शक्तिशाली बनाने के लिए

नहीं हो रहा है, क्योंकि वह जमीन अस्चित है, उस जमीन की ताकत का इस्तेमाल नये हिन्दुस्तान के निर्माण के लिए नहीं हो रहा है। उसी तरह हिन्दुस्तान की 80% जनता जो उदासीन है उसकी ताकत का इस्तेमाल हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा के लिए या हिन्दुस्तान को ताकतवर बनाने के लिये नहीं किया जा रहा है। जब तक हिन्दुस्तान की औरत, हरिजन, शूद्र और मुसलमान जाति का हिन्दुस्तान की 80% जनता का, जो सदियों से हजारों वर्षों से गुलाम रही है उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक शक्तिशाली हिन्दुस्तान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में पिछड़ों को विशेष अवसर देने की बात कही थी लेकिन पिछड़ों के नाम पर जाति बांधों, जाति तोड़ों नहीं के सिद्धांत को पनपाया जा रहा है। मैं रबी राय जी से पूछना चाहता हूँ जनता सरकार में कितनी औरतें मंत्रीमंडल में है राज्य सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व क्या है? कितने मुसलमानों को राजकाज में जनता सरकार ने हिस्सेदारी दी है। कितनी पिछड़ी जातियों के हैं, जिनको अवसर दिया गया है। यदि इसका आकलन किया जाए तो जो पहले सरकार थी उस सरकार की अपेक्षा इस सरकार में पिछड़ी जातियों को और भी कम अवसर दिया गया है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिद्धांत का है। यह सिद्धांत राजनैतिक है। इस देश की दौलत, इस देश का व्यापार, इस मुल्क की नौकरियां, इस मुल्क के राजकाज यह जो चार चीजें हैं, शक्ति का स्रोत है, इन चारों चीजों पर मुठ्ठी भर लोग कुडली मार कर बैठे हुए हैं। इस दौलत में हिस्सेदारी पूरे देश की होनी चाहिए। इस सिद्धांत से मैं भी सहमत हूँ। हिन्दुस्तान बार बार विदेशी हमलावरों के सामने गुलाम हुआ है। उसका कारण आपसी फूट नहीं रहा है बल्कि उसका कारण जनता की उदासीनता रही है क्योंकि इस मुल्क की 80% जनता का तन टूट रहा है, मन टूट रहा है। सदियों से

वाणी से हीन रही है। जुल्म की चक्की में लगातार पिसती रही है। इसलिए जनता किसी विदेशी हमलवारों के सामने खड़ी नहीं हो सकी। यही कारण था हमारी आजादी कभी भी सुरक्षित नहीं रही। वर्ण और जोन के दो कटघरों में जो साहस और जोखिम उठाने की ताकत किसी कौम में पैदा होती है, वर्ण और जोन के दो कटघरों में सिमट कर पूरा हिन्दुस्तान हमेशा से नष्ट होता रहा है। यह एक बुनियादी सवाल है। जब तक इन बुनियादी सवालों का उत्तर किसी देश की सरकार या उस देश की राजनीति नहीं ढूँढती है तब तक किसी देश का विकास नहीं हो सकता। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विशेष अवसर देने का सिद्धान्त है औरतों, हरिजनों, मुसलमानों को राजकाज में हिस्सेदारी, उनको इस देश की दौलत में हिस्सेदारी, इस मुल्क की नौकरी में हिस्सेदारी, मुल्क के राजकाज में हिस्सेदारी, इस सिद्धान्त के पीछे देश को हिन्दुस्तान को शक्तिशाली बनाने की भावना है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दुनिया की बिरादरी में आज दुनिया के नक्शे को आप देखें तो तीसवीं अक्षांश के उत्तर में रहने वाली गोरे मुल्क आज दुनिया की दौलत पर कुंडली मार कर बैठे हैं। आज अमरीका से लेकर यूरोप तक सारी दुनिया के राष्ट्र दुनिया की बिरादरी के ब्राह्मण हैं। चीन, जापान, अरब, कुवैत, ईरान ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर कुर्मी काछी, अहीर, मादिगा, रेड्डी के समान हैं। दुनिया के वे मुल्क जो 30वीं अक्षांश के दक्षिण में हैं वे ऐसे हैं जैसे हर गांव के दक्षिण में हरिजन बस्ती होती है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, लंका, एशिया के अधिकांश मुल्क दुनिया के नक्शे पर उस हरिजन बस्ती की तरह हैं जो उधार अन्न, उधार वस्त्र उधार हथियारों से चलते हैं। यदि दुनिया में हिन्दुस्तान को ब्राह्मण बनाना है तो हिन्दुस्तान से जाति पांति को मिटाना होगा और समता के ऊपर आधारित एक समाज की रचना करनी होगी। इसी महान सिद्धान्त को मद्दे नजर रखते हुए डाक्टर राम मनोहर लोहिया

ने जाति तोड़ो हिन्दुस्तान में चलाया था। लेकिन आज जो वशिष्ठी ब्राह्मणवाद की कट्टर परम्परा है, मुल्क के राजनेता उसी पर ही चल रहे हैं। बाल्मीकी की उदारवादी परम्परा के ऊपर नहीं चल रहे हैं मैं रबी राय जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या विशेष अवसर के माने जाति बाधा है।

मैं पूरे सदन के सामने यह कहना चाहता हूँ कि औरत, हरिजन, शूद्र, मुसलमान इन चारों को हिस्सेदारी दो, दौलत में दो, जमीन में दो, नौकरी में दो, राजकाज में दो। जब पिछड़े हुआ की ताकत का इस्तेमाल करोगे तभी शक्तिशाली हिन्दुस्तान का निर्माण कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी सरकार ने जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वचन दिया था कि हम विशेष अवसर के सिद्धान्त का पालन करेंगे, इस सिद्धान्त को लागू किया है। चन्द मुट्ठी भर जातियाँ जैसे कुछ जातियाँ जातिवाद चलाती थी तो उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी जातियाँ भी जातिवाद चलाने लगी उसी तरह का माहौल आज सारे देश में है कहीं ब्राह्मणवाद है, कहीं अहीरवाद, कहीं जाटवाद और कहीं चमारवाद (Interruptions.) . . . जो भी आप कहे। मैं जानता हूँ जब कोई बुनियादी सवाल छेड़ा जाएगा तो उस सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आज देश में जाति संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है। जाति तोड़ो का सिद्धान्त एक बुनियादी सवाल है। दुनिया की बिरादरी में हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, लंका जैसे मुल्क हरिजनों के समान है। इसलिए दुनिया की बिरादरी में यदि हिन्दुस्तान को ब्राह्मण बनाना है तो अपने देश के अन्दर जाति पांति की खाई को पाटना होगा, नष्ट करना होगा कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान की राजनीति की अगुवाई

[श्री कलानाथ राय]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की, वे दुनिया में चन रही नर नारी की क्रांति की समानता की लड़ाई को प्रतीक थे। इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री होने का मतलब हिन्दुस्तान के 30 करोड़ पिछड़े हुए हरिजनों से भी ज्यादा पिछड़ी औरतों के मन को छूने वाला राज्य। श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों ने न केवल हिन्दुस्तान के मन को छुआ बल्कि सारी दुनिया की औरतों के मन में एक नर नारी की समानता की लहर जगायी। एक हिन्दुस्तान के पिछड़े प्रधान मंत्री थे लेकिन लोग उनके खून के प्यासे बनकर, सारी दुनिया की नीतियों को भूलकर उनकी जान के पीछे पड़ गये।

अब मुसलमानों की बात लीजिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने पिछले 11 वर्षों की हुकूमत में हिन्दुस्तान की माइनारिटीज को सब से ज्यादा जगहें दी। हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद, हिन्दुस्तान के 22 प्रांतों में से 6 प्रांतों के वजीर मुसलमान, हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस मुसलमान, यह सारा काम हिन्दुस्तान में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ही किया।

3 P.M.

आपने कितने मुसलमानों को मुख्य मंत्री बनाया? आपने कितने मुसलमानों को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया? आपने कितने मुसलमानों को केन्द्रीय कैबिनेट में जगह दी? केवल पिछले की ओर अगले की बात करेंगे, उसमें राजनैतिक बातों को उभारेंगे। मैं जानना हूं रवी राय साहब के हाथ में हुकूमत होती—वे बहुत समझदार आदमी हैं लेकिन एक घड़ा शराब में जैसे एक बोतल दूध होता है वैसे ही प्रतिक्रियावादी, पूंजीवादी, जातिवादी जमघट में रवी राय जैसे लोग दूध की बोतल के समान हैं—शराब के घड़े में एक बोतल दूध—लेकिन वे बाकी लोग कौन हैं? वे लोग हैं जो, जिन मान्यताओं के लिए वह खड़े

हैं उन मान्यताओं के जानी दुश्मन वहां हैं, जिस पार्टी की हुकूमत आज आप बनाए हुए हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के राज-काज में हिस्सेदार एक औरत के नेतृत्व में, श्रीमती गांधी के रूप में, सारी दुनिया के अन्दर नर-नारी की समानता की क्रांति का उद्घोष हुआ और औरतों के दिल को छुआ कि हम भी राजगद्दी के मालिक हो सकती हैं, हम भी दुनिया में सीना उठा कर चल सकती हैं, हम कोई मर्दों के गुलाम नहीं हैं, दुनिया में औरत-मर्द बराबर हो सकते हैं। श्रीमती गांधी उस लड़ाई की प्रतीक थीं। देश के राजकाज में सब से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दी, और आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पहली बार हिन्दुस्तान की सेनाओं ने एक माइनारिटी के, पारसी सम्प्रदाय के व्यक्ति मानेकशा के नेतृत्व में विदेशी हमलावरों को पराजित किया था। मुसलमान, हरिजन, औरत—जनता पार्टी को, हमें लगता है, जैसे औरत से दुश्मनी है। यह राज्य सभा है, इसमें 244 मेम्बर पार्लियामेंट हैं लेकिन क्या जनता पार्टी में एक भी औरत मेम्बर है?

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी (गुजरात): मैं तो हूं। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है लेकिन क्यों आप हमारा इस तरह से जाति-भेद कर रहे हैं?

अम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): श्रीमन्, लगता है माननीय सदस्य को पुरुष और नारी में अन्तर नहीं दिखायी पड़ता है।

श्री कल्पनाथ राय: आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं दुनिया के महान क्रांतिकारी और महान क्रांतिकारी के परिवार की भी बदकिस्मती है कि वह तो श्रीमती इन्दिरा गांधी उन को इस राज्य सभा में, संसद में लायी। मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि

औरतों को प्रतिनिधित्व जनता पार्टी में मिला। अभी चुनाव होने जा रहे हैं मार्च में, तब पता चलेगा। श्री रबी राय देख लें कि न यहां हैं न वहां हैं क्योंकि औरत को पिछड़ा माना गया। अभी हमारे चौरसिया साहब बैठे हुए हैं, वे भी हिन्दुस्तान में जांत-पांत को मिटाने और पिछड़े वर्गों को अवसर देने की बात करते हैं। इस देश का कोई समाजवादी, कोई शुभचिंतक राष्ट्र का, रबी राय की राय से सहमत होगा, यह मैं मानता हूं लेकिन अगर इस मुल्क में वशिष्ठी ब्राह्मणवाद चल रहा है कि चूक एक चमार परिवार में पैदा है तो वह भी उसी वशिष्ठ की नकल करके चमारवाद फैला रहा है, तो मैं इसको समता और समाजवाद का पहरी नहीं मान सकता हूं। ब्राह्मण भी इस सिद्धांत को मानकर समाजवादी नहीं है। पैर छुना बुरा है लेकिन जो हरिजन भी पैर छुआने लगे, वह क्या है? क्या वह ब्राह्मणवाद का पोषक है या नहीं? यह ऐसा बुनियादी सवाल है जो इस पार्लियामेंट में अंदर हमारे मित्र जगदीश जोशी, गुणानंद ठाकुर, श्री रबीराय, ये लोग समझते हैं। आप एक परंपरा खत्म कर के जनता के मन को उस परिवार के विरुद्ध मोड़ रहे हैं कि जिस ने कि सारी दुनिया को रोशनी दिखाई। बाल्मीकी की उदारवादी परंपरा है। मैं चाहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान वशिष्ठवाद की कट्टर ब्राह्मण परंपरा से हट कर बाल्मीकी की परंपरा पर आये और ऐसा होना हिन्दुस्तान में समाजवाद का और समता का उद्घोष करना होगा। लेकिन आज इस मुल्क में कट्टरतम सांप्रदायिकता चल रही है। इस मुल्क में कट्टरतम जातिवाद फैलता जा रहा है और हमें इस बात का भय है कि वर्ग संघर्ष की जगह हिन्दुस्तान में कहीं जाति संघर्ष न हो। ऐसा जिस दिन होगा वह दिन हिन्दुस्तान के लिये एक बदकिस्मती का दिन होगा। इसलिये वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष को मटे नजर रखते हुए और महान सिद्धांतों को मटे नजर

रखते हुए पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर दिया जाये। (Time bell rings) हिन्दुस्तान की 60 करोड़ जनता में 30 करोड़ औरतें हैं और वे पिछड़ी हुई हैं। (Time bell rings) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सेशन में पहली बार ही बोल रहा हूं इस लिये क्षमा कर मुझे थोड़ा समय और दिया जाये। यह एक बुनियादी सवाल है और मुझे खुशी है कि रबी राय जी ने इस सवाल को यहां पर उठाया। मैं तो चाहता हूं कि इस मुल्क में इन सिद्धांतों पर एक राजनीति बहस चलायी जाय। कांग्रेस राज गया। ठीक है। वह राज ठीक नहीं था। अब आया जनता का राज। जनता के नाम पर आज क्या हो रहा है। एक बार रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण किया था। हमें लगता है कि हिन्दुस्तान के सारे पूंजीपति, सारे सरमायादार, सारे सांप्रदायिकवादी, सारे कट्टरतम लोग जो अपना नाम जनता पार्टी रख लिये है जनता रूपी सीता का हरण करने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस से ज्यादा हिन्दुस्तान का मानसिक पतन और क्या होगा कि आज कुर्सी के चक्कर में समाजवाद का रातदिन नाम लेने वाले राजनारायण, मधु लिमये, जार्ज फर्नन्डीज और बालेश्वर दयाल जी समाजवाद का शब्द, उस का उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वह समाजवाद शब्द बोल देंगे तो उन का कान पकड़ा जायगा और समाजवाद के दुश्मन मोरार जी उन को निकाल देंगे। अगर समाजवाद शब्द वह बोल देंगे तो चौधरी चरण सिंह जी उनको मिनिस्ट्री से निकाल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं जगदीश जोशी जी से कि आज समाजवाद शब्द बोलने के लिये, उसका नाम लेने के लिये कोई तैयार क्यों नहीं है। सारी जिन्दगी सोशलिस्टों के साथ रहे, उनके नारे लगाते रहे, लाठी डंडा खाते रहे और मार खाते-खाते बूढ़े हो गये और बूढ़े होने पर पर समाजवाद शब्द बोलेंगे तो निकाल दिये जायेंगे, इसलिये समाजवाद

[श्री कल्पनाथ राय]

नहीं बोलेंगे। रबी राय जी समाजवाद शब्द नहीं बोल सकते नहीं तो निकाल दिये जायेंगे। वह जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन बोल नहीं सकते।

(Interruptions). बेचारे मंडल का क्या दोष। जब उसके पिता जी लोग चुप हैं, तो लड़के का क्या कहना। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह सवाल है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जनता रहेगी या नहीं रहेगी, कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी यह सवाल नहीं है। हमारा मुल्क रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा बतन रहेगा या नहीं रहेगा यह सवाल है। हजारों वर्ष हम गुलाम रहे। हिन्दुस्तान क्यों गुलाम हुआ यह एक बुनियादी सवाल है। डा० लोहिया ने कहा कि हिन्दुस्तान की गुलामी का कारण राजाओं की आपसी फूट नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक जनता की उदासीनता रही है राज-काज में। देश के लोगों को इतिहास को इस नये नजरिये से पहचानना होगा। एक छोटा सा इंग्लैंड सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया। एक आदमी ने कहा कि साहब इंग्लैंड का सूरज डूबता नहीं। तो श्री कृष्ण-मेनन ने कहा कि अंग्रेजों के राज में भगवान परमेनेन्ट सूरज उगाये रहते थे क्योंकि अंग्रेज इतने चोर हैं कि अंधेरे में छिप जायेंगे। इसलिए भगवान ने चोरों को पकड़ने के लिए सूरज को हमेशा कटघरे में रखा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास की इस बात को कि क्यों हिन्दुस्तान हारा, क्या रीजन रहे हैं, यह जानना चाहिए। आज भी हिन्दुस्तान की 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ औरतें हरिजनों से भी बदतर जिन्दगी बिता रही हैं। इस देश में 60 करोड़ जनता है जिसमें से 50 करोड़ जनता का तन टूटा है। माने इस देश के 50 करोड़ लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा इन पांच चीजों का इंतजाम नहीं है। तो जिस व्यक्ति को ये चीजें, रोजमर्रा की पांचों चीजों की उपलब्धि

न हो उस व्यक्ति का तन टूटा हुआ होगा। जब व्यक्ति का तन टूटा हुआ है तो राष्ट्र का तन टूटा हुआ है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस मुल्क का मन टूटा हुआ है। इस देश में 50 करोड़ आदमी जन्म लेते हैं वे कौन हैं? चमार हैं, नाऊ हैं, तेली हैं, इनका मुंह मत देखो ऐसा कहा जाता है। तो इस जात-पात के कारण इस मुल्क के 60 करोड़ में से 55 करोड़ जनता का मन बचपन से ही टूट जाता है। उनका मन लगातार चोट खा खा कर टूट जाता है। तन के टूटे, मन के टूटे इस मुल्क में कोई जवान नहीं है। आज भी हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में विदेशी मैकाले और लार्ड डलहौजी की भाषा में शासन चलता है। डलहौजी और मैकाले के मानसपुत्र आज भी हिन्दुस्तान की संसद को चला रहे हैं और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, हिन्दी भाषा-भाषी इलाके के लोग भी जिनको कुछ भी अंग्रेजी नहीं आती, वह भी विदेशी टूटी-फूटी भाषा बोलते हैं—आई सी, टु डे देट इज, यानी जिनको अंग्रेजी नहीं आती वह भी अंग्रेजी में बोलने में एक महान गौरव या गर्व का अनुभव करते हैं। जिस मुल्क की 60 करोड़ जनता के मन में अपनी माता के प्रति एक तड़पन न हो, वह मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मेरी मां काली है तो मैं अंग्रेज की मां को मां कहूंगा? मेरी मां तो मेरी मां है, वन्दे मातरम, मेरी भारत माता है। इस मुल्क के राजकाज की भाषा जनता की बोली होगी। इस मुल्क के राजकाज की बोली में बोल रहा हूँ तो हमारे गांवों से आये हुए नागरिक हमारी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारे गांव के हरिजन लोग पार्लियामेंट सुनने आये—

India did not progress because India has not brought socialism in the country.

वे यह सुनेंगे तो वहा से उठकर चले जायेंगे। गांव में जायेंगे तो कहेंगे कि हमारी कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। तो हिन्दुस्तान का राजकाज चलाने वालों की बोली हमेशा जनता की बोली होनी चाहिए। राजकाज की बोली अलग, यही हिन्दुस्तान की गुलामी का कारण रहा। जब हिन्दुस्तान की हुकूमत पर हिन्दू राजा थे तो जनता की बोली अपभ्रंश हिन्दी, उर्दू, तेलगु, कन्नड़ तथा संस्कृत थी। जब हिन्दुस्तान पर मुसलमान शासक हुआ तो जनता की बोली हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलगु थी और शासन की बोली फारसी थी। जब हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ तो शासन की बोली अंग्रेजी और जनता की बोली हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलगु थी। लेकिन आजादी के बाद जब हिन्दुस्तानी शासक हुए तो राजकाज की भाषा अंग्रेजी और जनता की भाषा हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलगु आदि है। जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो दुनिया के महान नेता महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं यदि हिन्दुस्तान की हुकूमत का मालिक बनूंगा तो कलम की एक नोक से मानुषाया को देश की राजकाज की भाषा बनाऊंगा। और सुभाष चन्द्र बोस ने यह कहा था कि कदम-कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाए जा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude now. You have got more time than what you are entitled to.

श्री कल्पनाथ राय : एक प्वाइंट कह कर खत्म करता हूं। केवल एक मिनट बोलने दीजिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सुभाष चन्द्र बोस ने भी कहा था कि राजकाज की बोली जनता की बोली होगी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सुभाष बाबू ने इम्फाल में कहा था कि 'कदम-कदम बढ़ाए जा' और महात्मा गांधी ने मातृ भाषा के बारे में कहा था। गांधी और सुभाष बाबू का नाम लेकर बोट लेने वाले और भारत का राजकाज चलाने

वाले हिन्दुस्तानी राजकाज लाई मकाले की भाषा में चला रहे हैं। पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति एम०पी० बन कर यहां चला आया तो कहने लगा,

"I told, but, to see." What is this?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Please conclude now.

श्री कल्पनाथ राय : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि हिन्दुस्तान की 90 प्रतिशत जनता को, दुनिया में इसे शक्तिशाली देश बनाने के लिये, राजकाज में हिस्सेदार बनाना होगा, दौलत में हिस्सेदार बनाना होगा। अंग्रेजी की बोली लेकर और हाथ में बंदूक की गोली लेकर हिन्दुस्तान की 90 प्रतिशत जनता के ऊपर जो बैठे हैं उनकी हुकूमत खत्म करनी होगी और समता के आधार पर समाजवादी समाज की रचना करनी होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Shri Varma.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, on a point of order. Is it proper to speak, to insult Members of Parliament that we backward class people cannot speak proper English? I want a ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Shri Varma.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, the Chair cannot escape. I want a ruling on this. Either you say yes or you say no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): It is a comment. It does not call for a ruling.

SHRI K. K. MADHAVAN: What comment?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): You have made a comment. It does not call for a ruling.

SHRI K. K. MADHAVAN: I have raised a point of order. You did not understand it, unfortunately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): There is no point of order. That is the ruling.

SHRI K. K. MADHAVAN: There was a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Varma.

SHRI K. K. MADHAVAN: I raise another point of order. You cannot fool me like this.

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये ।

SHRI K. K. MADHAVAN: No, no. I am on my legs. I want a ruling. You give another ruling. I don't mind. I want a ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): What is your point of order?

SHRI K. K. MADHAVAN: You did not understand that. You cannot understand that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): What is your point of order?

SHRI K. K. MADHAVAN: How can I help you if you do not understand what I say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): You don't have to say anything which is a reflection on the Chair. Please come to your point of order.

SHRI K. K. MADHAVAN: It is not a reflection on the Chair. It is a reflection on the person who is occupying the Chair, who does not deserve to be in that Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): There is no need for you to get excited.

SHRI K. K. MADHAVAN: There is no excitement. I am saying the fact.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): You please bear with me.

SHRI K. K. MADHAVAN: You said you did not understand what I said.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Anyway, are you now satisfied that there is no point of order?

SHRI K. K. MADHAVAN: It is not a point of order. It is a question of reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Shall we continue now?

SHRI K. K. MADHAVAN: Yes, we have to continue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Varma.

SHRI K. K. MADHAVAN: Not that. You have to give a ruling. We have to continue and you have to give a ruling. Sir, it is unfortunate that such high positions are being occupied by small men.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Shri Varma.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं दो बातें उनके बारे में श्रीर कल्पनाथ राय जी की बातों के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि बैकवर्ड क्लास में एफिशियंसी नहीं है। यह बहुत गलत ख्याल है। 90 फीसदी जनता के अंदर से जो गवर्नमेंट के अंदर लिये जा रहे हैं उनमें एफिशियंसी का सवाल नहीं है। आप भ्रम में हैं। जब आप बैकवर्ड क्लास की बात सोचते हैं तो हमेशा सोचते हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। बैकवर्ड क्लास में 90 फीसदी जनता आती है जिसमें सभी पढ़े-लिखे आते हैं। इनको जबर्दस्ती बाहर रखा जा रहा है। मैं चाहता

हूँ कि जब इस तरह की बातें कही जायें तो वे सोच-समझ कर कही जानी चाहिए। गांधी जी ने यह कहा था कि ठीक एफिशिएन्सी होनी चाहिए।

SHRI K. K. MADHAVAN: Why don't you include the Scheduled Castes?

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मैं आप से माफी चाहता हूँ। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। गांधी जी ने यह ठीक कहा था कि एफिशिएन्सी होनी चाहिए। लेकिन एक बात सोचिये कि सारे देश में मोस्ट एफिशिएंट लोग कौन हैं। मोस्ट एफिशिएंट लोग समाज से चुनकर संस्थाओं में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं। लेकिन आज फिर भी देश रसातल की तरफ क्यों चला जा रहा है?

SHRI K. K. MADHAVAN: So they came not because of you but in spite of you. They came because of Shri Jawaharlal Nehru:

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : आप मेरे ऊपर रहम खाइये। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ जो आपके खिलाफ हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एफिशिएन्सी का आपका मयार क्या है? जिस एफिशिएन्सी की आप बात कह रहे हैं, मैं श्री कल्पनाथ जी के शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि उस एफिशिएन्सी से देश का क्या भला हुआ? मैं समझता हूँ कि इससे देश में अकुशलता का ही राज हुआ है।

SHRI K. K. MADHAVAN: The shadow of your inefficiency is haunting you.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : अगर यह एफिशिएन्सी केवल मात्र उस प्रशासन को कायम रखने के लिए है जो इस देश में पिछले 30-40 वर्षों से चला आ रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस एफिशिएन्सी से तो आने वाले 30 सालों में देश की हालत और भी बदतर हो जायेगी।

SHRI K. K. MADHAVAN: That too is because of people like you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): Mr. Madhavan, there cannot be a continuous dialogue going on like that.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, it is because you did not give me a reply.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : आप इस तरह से बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। नाराज तो आप उनसे हैं और गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं।

जैसा श्री कल्पनाथ जी ने कहा है, इस देश की पीड़ित और प्रताड़ित जनता में जातिवाद की मनोवृत्ति है और इसी जातिवाद की मनोवृत्ति के कारण समाज के अन्दर घृणा की प्रवृत्ति पैदा होती है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का प्रशासनतंत्र इस वक्त है उसमें जातिवाद बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा।

SHRI K. K. MADHAVAN: Why don't you remove your caste from your name? Now, you remove your caste from you name. Why don't you remove your caste name from your name? Are you ashamed of doing that?

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मेरा कहना यह है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। यह और विस्तृत रूप में बढ़ेगा और इससे किसी प्रकार से घबराने की बात भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर यह नहीं बढ़ेगा तो उसके खत्म होने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। जब कोई चीज अपनी अति पर पहुँच जाती है तो तभी उसका अन्त भी होता है। इस वक्त हमारे देश में जिस प्रकार से जातिवाद समाज की छाती पर बैठा हुआ है उसको दूर करने के लिए किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब यह जातिवाद समाज की छाती पर कसकर बैठेगा तभी खुल्लम-

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

खुल्ला संघर्ष भी पैदा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार का संघर्ष होना लाजिमी है। श्री रवी राय जी ने कहा कि पिछले 25 साल से एक प्रकार की कांसपिरेसी चल रही है क्योंकि बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट के साथ धोखा हुआ और इन पिछड़ी जातियों के साथ भी धोखा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता पार्टी की सरकार भी उसी कांसपिरेसी की तरफ जा रही है। यह कहा गया है कि इन जातियों के लिए 25 से 33 फीसदी तक रिजर्वेशन कर दिया जाय। मैंने श्री मोरारजी देसाई जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का जवाब श्री मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी की तरफ से यह आया—

"I have received your letter of the 11th December with which you enclose a copy of the letter dated the 7th December regarding reservation in Government services for backward classes, other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I am referring this to the Department of Personnel for their consideration."

यह जवाब उनका आया।

गृह मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। उनके कोई श्री राम जी हैं, उन्होंने लिखा है कि "माननीय प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित आपके तारीख 27 जनवरी, 1978 के पत्र की प्रतिलिपि माननीय गृह मंत्री को प्रेषित है। प्राप्ति स्वीकार करने का मुझे निर्देश दिया है, जिसमें आपने पिछड़े वर्गों के लिये सुरक्षित सीटों की बात कही है।"

अब जवाब आया है हमारे माननीय मंडल जी का, स्टेट होम मिनिस्टर जो इस समय यहां बैठे हैं, उसको सुना रहा हूं :

प्रिय वर्मा जी,

कृपया प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 7-12-77 और उसके बाद प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को दिये गये दिनांक 11-12-77 के पत्रों को जो पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षणों के बारे में है, सरकार सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की जांच के लिये एक आयोग के गठन पर विचार कर रही है। जब ऐसे आयोग का गठन हो जायेगा तो निस्संदेह आयोग इस प्रश्न पर भी जांच करेगा कि क्या पिछड़े वर्गों के लिये सेवाओं में आरक्षण किये जाने चाहिए।

अब यह आयोग निकला। इस सत्र में इन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि हर सत्ताधारी जनता को धोखा देने के लिये इस्तेमाल करता है। मैं इस सरकार से भी और सदन से भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं। इसके पहले मैंने अब जो चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को, वह आपको सुनाना चाहता हूं। यह 21 फरवरी को लिखी है।

"आदरणीय देसाई जी,

सप्रेम नमस्ते। यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्य पिछड़ी जातियों के सरकारी सेवाओं में संरक्षण के प्रश्न पर चुप्पी साध ली गई। पिछड़े वर्गों के लिये जिस आयोग का जिक्र किया गया है, वह केवल एक छलावा मात्र है, उस महत्वपूर्ण प्रश्न को टालने के लिये, जिसका वायदा जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में किया है कि अन्य पिछड़ी जातियों को 33 प्रतिशत तक संरक्षण सरकारी सेवाओं में प्रदान किया जायेगा। इस प्रश्न के महत्व को या तो आंका नहीं जा रहा है और या तो जान-

बूझकर उसको टालने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह जिस तरह पिछले लगभग 25 वर्षों से पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर इस प्रश्न को टाला गया है। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग का का कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 25 से 30 प्रतिशत तक स्थान सरकारी नौकरियों में सुरक्षित किये जायेंगे। घोषणा-पत्र में उक्त वर्ग के लिये किसी नये कमीशन का कोई जिक्र नहीं है। फिर इस तरह की अब बात करना, उस महत्वपूर्ण प्रश्न को टाला जा रहा है।

मान्यवर, इस समय परिस्थिति यह है कि 15 फीसदी जनसंख्या वाले कुछ अवसरवादी अगड़ी जातियों ने सरकारी नौकरियों में लगभग 90 फीसदी स्थान घेर रखा है। यह स्थिति देश की जनतंत्र की भावनाओं के विपरीत है, देश की स्थिति के लिये खतरनाक है, देश के उत्थान में भयंकर रूप से बाधक है, भ्रष्टाचार की बुनियाद है, गांधी जी की विचारधारा के विल्कुल प्रतिकूल और जनता घोषणा-पत्र के लिये एक चैलेंज है। अगले 10-15 वर्षों के अन्दर देश को ऐसी विस्फोटक कगार पर यह स्थिति ला देगी, जिसकी आज साधारणतया कल्पना भी नहीं की जा सकती।

आदरणीय बन्धु, आप देशभक्त हैं और दूरन्देश हैं। मैं सन् 21 से स्वातंत्र्य संग्राम का सिपाही रहा हूँ। पिछले लगभग 60 वर्षों से निरन्तर संघर्षों के अंदर से होकर गुजरा हूँ। उस आधार पर, आप से निवेदन कर रहा हूँ कि उन चन्द अगड़ी जातियों, जिनकी संख्या 15 प्रतिशत है, के जहरीले जातिवाद का देश के अन्दर जो विषय पैदा कर रखा है, और बढ़ता जा रहा है, उसका परिणाम निकट भविष्य में, यदि अफ्रीका के 10 प्रतिशत गोरे

और 90 प्रतिशत कालों के भयंकर वर्ग संघर्ष के रूप में इस देश में पैदा हो, तो इसे आश्चर्य-जनक नहीं कहा जायेगा। यह दिन देश के लिये घोर अंधकारमय होगा। हजारों वर्षों से देश एक ऐसे घणित जातिवाद में फँसकर चंद वर्गों के स्वार्थ में फँसता रहा, दासता की बेड़ियों में जकड़ा गया, लूटा गया, अपमानित और लांछित हुआ। पिछले 30 वर्षों से आजादी के बाद भी इस जातिवादी लूट और शोषण ने सारे देश को तबाह कर रखा है। उसे उठने नहीं दे रहा है। देश में भयंकर विस्फोटक स्थिति का सृजन कर रहा है। लगभग प्रारम्भ से ही नेशनल कांग्रेस ने जाति वर्ग विहीन समाज की स्थापना का मन्तव्य बनाया। आज जनता पार्टी भी उसी ध्येय को गांधी जी के रास्तों से पूर्ति के प्रयास का दावा कर रही है। शायद जनता पार्टी भी वही भूल कर रही है जो कांग्रेस ने की अर्थात् केवल जबानी जमा खर्च। इस देश के जातिवाद का आधार आर्थिक सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक के साथ-साथ आज सब से अधिक प्रशासनिक हो गया है। वह प्रशासन के चंद अवसरवादी अगड़ी जातियों से भरा हुआ है देश को जाति-वर्ग विहीन समाज की ओर नहीं ले जा सकता इसलिए केवल पाक इरादों और ऊँचे वक्तव्यों से इस बहुसंख्यक लगभग 85 प्रतिशत जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। एक ठोस कदम हजारों वक्तव्यों से बेहतर होगा। मैं आपसे उसी ठोस कदम की अपील कर रहा हूँ जिसका आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया है। किसी कमीशन वगैरह के बहाने उस प्रश्न को टालने का सवाल जनता और देश को धोखा देना माना जायेगा।

पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अनुसूचित जातियों और जन जातियों के अलावा लगभग 60 प्रतिशत है। इतने बड़े

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

वर्ग को प्रशासन से बहीन रख कर देश को चलाने और प्रजातंत्र कायम रखने का प्रयास कितना हास्यास्पद हो रहा है और होगा यह आपको बताने की जरूरत नहीं।

सन् 50 में मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू से कहा था कि पंडित जी इस देश में जाति पाति के रहते न देश की आजादी और जनतंत्र कायम रह सकेगा, न देश की एकता रहेगी, न देश से जातिवादी अत्याचार और जुल्म को बन्द किया जा सकेगा, न देश की गरीबी हटाई जा सकेगी और न देश को भयंकर वर्ण संघर्ष से बचाया जा सकेगा जो वर्ण संघर्ष से कहीं अधिक भयंकर होगा क्योंकि उसमें आर्थिक आधार के अलावा सारे इतिहास की पृष्ठ भूमि में भयंकर सामाजिक और धार्मिक शोषण का आधार होगा।

पंडित नेहरू ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज लगभग 30 वर्ष बाद आपके सामने वही सवाल उसी रूप में रख रहा हूँ। इसका प्रथम कदम आपको उठाने के लिए सादर आग्रह कर रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग कमीशन बने या न बने आप कृपया इसी सत्र में पिछड़ी जातियों के लिए 33 प्रतिशत जगहें सरकारी सेवाओं में सुरक्षित करने का प्रावधान करें। घोषणा-पत्र के स्पष्ट वक्तव्य के बावजूद उससे कदम उठाने की बात न केवल बहुत घातक होगी जनता पार्टी और देश दोनों के लिए वरन् आपकी शान और प्रतिष्ठा के विपरीत होगी।

मान्यवर, मुझे आशा है कि आप इस पत्र को अपने एक साथी की जिसने 60 वर्ष लगातार आजादी तथा अन्य सामाजिक संघर्षों में देश के लिए बिताया है, हृदय की भाषा समझ कर उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। देश का भविष्य आपके इसी निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करता है।”

यह पत्र मैंने 21 तारीख को भेजा। मैं नहीं समझता कि उसका कोई ठीक उत्तर आयेगा और कोई नया-तुला उत्तर इसी तरह से आ जायेगा। मुझे जो कहना है, उपसभापति महोदय, स्थिति इतनी भयंकर होने वाली है जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। वाराणसी में . . . (Interruptions) . . . मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हंसी मजाक मत समझिए और जरा मुनिधे। वाराणसी में बाबू जगजीवन राम के ऊपर जो व्यवहार किया गया वह केवल जगजीवन राम के साथ, केवल हरिजन जाति के अपमान का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न उस मनोवृत्ति का छोटक है कि आज 30 साल की आजादी के बाद भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हरिजन चाहे कितना भी महत्वपूर्ण आदमी हो वह इस तरह की चीज करे। उसका फल क्या हुआ? उसका फल हुआ कि उसका विरोध हो रहा है। उस विरोध के बारे में देवरिया में जो हुआ उसको मैं आपको सुनाता हूँ। एक पत्र आया है उसमें लिखा है। हम लोग 15-2-78 को देवरिया में थे। वहां पर बाबू जगजीवन राम के अपमान के विरोध में प्रदर्शन था। इसमें हरिजनों के और ब्राह्मणों के बीच देवरिया में मारपीट होती रही। इसी तरह वे लोग कलक्टर, कचहरी और जिलाधीश के पास गये तो वे कोर्ट छोड़ कर चले गये। फिर कचहरी में हरिजनों वकीलों के दरमियान एक घंटे तक कुर्सी और स्टूल की लड़ाई होती रही। दूसरे दिन, 16-2-78 को सुबह आठ बजे बाबू जगजीवन राम हरिजन छात्रावास जला दिया गया। और हरिजन नेता बन्धु प्रसाद के घर ब्राह्मणों ने उनको मारने की कोशिश की लेकिन वे किसी तरह से बच न सके। रोड पर जितने हरिजन छात्र थे सबका सामान मार-मार कर छीन लिया गया। मैं इस तरह की चीज नहीं कह रहा हूँ जो पार्टी के प्रोपेगंडे के लिए कही जा रही हो। इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन सवाल तो बुनियादी है।

अगर आप 10-15 किसी नाम पर, इफी-शियेंसी के नाम पर बैठकर जो चुनाव करते हैं क्या उसका नक्शा आपने देखा है। मैं कहता हूँ सिर्फ रिजर्वेशन खत्म कर दीजिये लेकिन चुनाव करने के लिए हरिजनों, पिछड़े वर्गों को रख दीजिये फिर देखिये 3 साल में मामला खत्म हो जायगा। आप इफीशियेंसी की बात करते हैं लेकिन जो बैठकर चुनाव करते हैं वह किसकी इफीशियेंसी देखते हैं आपको पता नहीं है इस बात का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब यह बर्दाश्त नहीं होगा। आज राजा कोई हो लेकिन रानी मंदोधरी वाला मामला है। आप इस सरकार को क्यों दोष देते हैं। सरकार की मशीन ही एक ढंग की बनी हुई है। आप यहां से आर्डर निकालते हैं, कानून बनाते हैं पर उसको कार्यान्वित करने का श्रेय और जो उसका आधार है वह नौकरशाही का ही होता है और उस नौकरशाही की मनोवृत्ति उसका आधार सारा का सारा जातिवादी होता है।

SHRI K. K. MADHAVAN: It was the same machinery that was used by the previous Government to protect the rights of the Harijans.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : ठीक है आपकी बात। तो वे सारे के सारे वहां बैठे हुए हैं। आप कुछ भी करें। कभी साहस नहीं हो सकता था अगर वहां के प्रबंधकारी जो जगजीवन राम जी के मूर्ति अनावरण के समय थे, उचित इंतजाम किये होते। इस तरह की चीज नहीं हो सकती थी। कभी साहस नहीं हो सकता था कि देवरिया में हरिजन होस्टल फूँका जाता, लड़के मारे जाते। परन्तु यह हो इसलिए रहा है कि आप जिनके आधार पर उनका उत्थान करना चाहते हैं वे ही उनको बुनियादी तौर पर कुचलने के लिए बैठे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक इन लोगों को पर्याप्त संख्या में आप सरकारी कर्मचारियों के रूप में नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। केवल यहां पर बहस कर लेने से या अच्छी से अच्छी हुकूमत हो

चाहे वह मोरारजी की हो या इन्दिरा जी की हो मैं यह नहीं कहता हूँ कि ये गरीबों का जानबूझकर उत्पीड़न करते हैं लेकिन मजबूरी यह है कि न वह करते हैं और न ये। एक पुरानी कहावत है कि "राजा कोई हो रानी मन्दोधरी" कोई भी राजा बैठेगा लेकिन मशीन वही है। जिस मशीन के जरिये आप उद्धार करना चाहते हैं वह मशीन गरीबों को पीड़ित करने वाली और उनका शोषण करने वाली है। इसलिए मैं फिर माननीय मंडल जी के द्वारा इस सरकार को आगाह कर देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आप यह न समझें कि आप एक चीज को धोखा दे दें और फिर उसको भूलवा दें। यह प्रश्न भुलाने वाला नहीं है और आप नहीं समझते कि जनता पार्टी ने और जो कुछ भी किया हो लेकिन जनता पार्टी की विजय में 33 फीसदी रिजर्वेशन ने बहुत किया है। चाहे है यह बहुत छोटी सी चीज लेकिन इसने कितना पर्याप्त हाथ लिया। इसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं। इसका आकलन आप 2 साल के बाद करेंगे यदि आप जनता को धोखा देंगे। इसलिए मैं आपकी सरकार को, प्रधान मंत्री को, गृह मंत्री को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ कि और सारी चीजें हो सकती हैं, मैं जानता हूँ कि देश में भ्रष्टाचार का पनपना भी इसी जातिवाद की जड़ में है। आप उसे जल्दी नहीं दूर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि गरीबी, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई आबादी, आज की तालीम ये सारे प्रश्न एक दूसरे से नत्थी हैं। लाख कोशिश कीजिये जल्दी गरीबी नहीं हट पायेगी। उसके पीछे कई और बातें हैं। लेकिन एक प्रश्न जिसके लिए आप वादा करके आये हैं और जिसको आप कानून के जरिये से इसी वक्त ठीक कर सकते हैं उसके प्रति यदि आपने धोखा किया तो जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है और गृह मंत्री जी को भी भेजा है। मैं जानता हूँ कि उसका ठीक उत्तर नहीं आयेगा लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

पत्र लिखने तक यह सीमित नहीं रहेगा इसलिए मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है इस सरकार से और इस प्रस्ताव के सूवर श्री रबी राय साहब को क्या कहूँ वे जनता पार्टी के सेक्रेटरी हैं, इस प्रस्ताव को लायें हैं लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या कभी जनता पार्टी की कार्य-समिति में भी उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है? नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? और अगर उठाने के बाद भी नहीं माना गया तो उसको क्यों नहीं बताया हम लोगों को? यह कोई तरीका हुआ? कोई तरीका नहीं हुआ। ताज्जुब यह है कि जेनरल सेक्रेटरी . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) :
यह प्रश्न लगातार उठाते आ रहे हैं।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : जनरल सेक्रेटरी 3 हैं, और हमारे अध्यक्ष भी उसी पुराने लोहिया ग्रुप में थे। हेगड़े जी, रबी राय जी, मधु लिमये जी, तीन जनरल सेक्रेटरी लोहिया ग्रुप के हैं और मेरा जहाँ तक खयाल है चन्द्रशेखर जी भी उसमें थे।

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : आप भी तो थे।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मैं कभी नहीं था। ये लोग लोहिया जी के प्रबल समर्थकों में थे और जिन्होंने हमेशा आवाज उठायी वह अध्यक्ष हैं। तो उनमें अध्यक्ष भी है, सेक्रेटरी भी है। प्रेसीडेंट के भाषण में आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग बैठ रहा है। एक बार आयोग और बैठा है 1953 में। 1955 में रिपोर्ट आई। 25 साल तक उसका पुरसां हाल नहीं हुआ। आप (जनता पार्टी सरकार) भी बैठेंगे पांच-छः साल, तब तक वह चलेगा और फिर जो कोई सरकार आए। उसके बाद फिर वह दाखिल दफ्तर हो गया। क्या इसका मतलब है ?

जहाँ तक स्त्रियों का सवाल है, कोई उनके विरुद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन माननीय कल्पनाथ राय जी से मेरा कहना है कि आप 90 फी सदी, सारी सीटें और नौकरियां उनको दे दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उस 90 फी सदी में पिछड़े वर्गों की औरतें होंगी—इसको मानकर चलिए।

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, may I know how many minutes have been allotted to him? Is there any yard-stick?

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : आप इसको दोनों तरफ से नहीं ले सकते। मैं कहता हूँ, जो पिछड़े वर्गों की, दलित वर्गों की औरतें हैं . . .

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नाम लेकर कहा गया है। औरतें, चाहे वह किसी वर्ग की हों—चाहे बिड़ला की या हरिजन की—डा० लोहिया ने, डा० अम्बेडकर ने, काका कालेलकर ने उनको पिछड़ा माना है। कृपया पूछ लें, चौरसिया साहब से।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : आप डाक्टर अम्बेडकर, या लोहिया को अल्लामियां मानते हैं, मैं नहीं मानता। इसलिए जो बात उचित है वह कह रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :
वर्मा जी अब खत्म कीजिए।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : तो मैं कह रहा हूँ, औरतें पिछड़ी हुई हैं। जितनी औरतें आपको लेनी हैं सरकारी नौकरियों में उसमें उसी अनुपात से लीजिए हमको कोई ऐतराज नहीं, बात खत्म हो गई . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जब आप डा० लोहिया की बात करते हैं तो डा० लोहिया ने सभी महिलाओं को एक समान माना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :
आप बैठ जाएं ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : प्रस्ताव
पर बहस होनी चाहिए, डा० लोहिया पर
क्यों बहस हो रही है ?

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : डा० लोहिया
ने अपने लोगों के लिये कहा । मैंने अपने लिये
तो नहीं कहा कि मैं "लोहियाइट" था ।
मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं ? जो उन्होंने
कहा, उनके चेले ही उसको तोड़ रहे हैं ।
मेरी बात को कल्पनाथ जी कैसे मानने वाले
हैं । जो कुछ हो, लेकिन कोई चीज जब
उनको छू लेती है तो फिर और कुछ नहीं तो
औरतों का वहाना लेकर ही डामिनेट...

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अभी
जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है ...

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :
प्रस्ताव पर बोलना चाहिए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :
आर्थिक आधार पर होना चाहिए ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मैं जय प्रकाश
नारायण को भी भगवान नहीं मानता ।
जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक आधार कहा,
यह भी बहुत बड़ा धोखा है देश को । इसलिए
धोखा है कि यह लड़ाई क्लास की है । आप
किस को आर्थिक आधार कहते हो ?
दुनिया को धोखा देना चाहते हो ? सारा नौकरी
पेशा वाला वकील है, जज है, अधिकारी है
और दूसरी तरफ श्रमजीवी हरिजन, चमार
और मजदूर वर्ग है । किसका आर्थिक
आधार कहना चाहते हैं । वे सारे आर्थिक
आधार लेना जातिवादिता नहीं होगा ?
आप आर्थिक आधार लेकर चूनिया बनाना
चाहते हैं, वेवकूफ बनाना चाहते हैं, यह
ठीक नहीं है ।

(Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-
सभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर
है । महादेव प्रसाद वर्मा जी ने अपने भाषण
में 'चूनिया' शब्द का इस्तेमाल किया है ।
वह शब्द अनपार्लियामेंटरी है । उसको आप
वापस कराइये ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मैं इस शब्द को
वापस लेता हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :
उन्होंने उस शब्द को वापस ले लिया है ।
आपने बहुत समय ले लिया है । आपको
मालूम नहीं हुआ कि कितना टाइम आप ने
ले लिया । आप अब खत्म करिये ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मैं एक मिनट
और चाहता हूँ ।

(Interruptions)

इसलिये अन्त में मैं फिर सरकार से और
प्रधान मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से
अनुरोध करूंगा कि वह रिजर्वेशन की बात को
छोड़ कर जो कमीशन की रिपोर्ट आयी है
काका कालेलकर कमीशन की, उसको लागू
करने का प्रयत्न करे ।

SHRI BIR CHANDRA DEB BUR-
MAN (Tripura): Mr. Vice-Chair-
man, Sir, I am one with the mover of
the Resolution in forming a casteless
and classless society. But I do not
think the remedy as suggested will
form a classless or casteless society.
Mr. Vice-Chairman, in our Constitu-
tion there is already provision for
Scheduled Castes and Scheduled
Tribes for reservation of seats. That
was first meant for ten years. The
framers of the Constitution had felt
that within ten years the Scheduled
Castes and the Scheduled Tribes
would be at par with all others. But,
unfortunately, after ten years, the
reservation was extended to another
ten years, and then another ten years.
And it seems this is going to be a
permanent feature of our society.

[Shri Bir Chandra Deb Barman]

Therefore, instead of solving this question we are shelving it. In the British regime they shelved this question. In the same way we are going to shelve this question instead of solving it. Where does the main defect lie? The main defect lies because in our Constitution the right to work is not guaranteed. I do not expect that my future children will get a job because the Constitution does not guarantee a job for them. Naturally, we will try to have our sons and daughters absorbed in some sort of job.

In my Constitution there is existence of private property and private property means exploitation. If one amasses property where does he get it from? Obviously, he gets it by depriving others of their legitimate share. So, as long as there is private property and so long as the right to work is not guaranteed this evil will remain for ever and whatever reservation we are making. 60 per cent, or 70 per cent, will remain only in letter, not in spirit.

Sir, even after the lapse of thirty years, what is the answer that we get? The answer is "Suitable candidates are not available". The difficulty is we are not serious about filling the percentage. Why suitable candidates are not available? If every year we had trained hundreds of candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, this difficulty would not have arisen. This difficulty has arisen because the right to work is not guaranteed in our Constitution. I know I cannot manage a job for my future generation. There is no hope for him. Therefore, I must amass wealth and make private property. I must get them fixed up in some sort of job. If a person is already in job he has got many avenues to push up his daughter and son in a job. For the son of a poor villager, for the son of a rustic, for the son of a poor labourer, for the son of a poor agriculturist, is there any scope to get

absorbed in some sort of a job, which is called a white-collared job in our society? So far as a constitutional remedy is concerned, the right to work must be guaranteed for every able-bodied person. If every able-bodied person has got the right to work, if that is made justiciable, then I can make the State answerable if I am unemployed. Then the State is bound to provide me with some job or give me some sort of pension or bhook bhatta.

The question of non-availability of suitable candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes remains only because the present society is based on exploitation. There is exploitation of man by man and so long as there is exploitation, there will remain a class called the exploiters and there will remain a class called the exploited, and so far as establishment of a classless and casteless society is concerned, it will only remain a dream. It cannot at all be achieved unless we can do away with this exploitation in our society, unless this right to private property is removed from our Constitution and unless we guarantee the right to work to every able-bodied citizen of our land.

So, my submission to you, Mr. Vice-Chairman, is that the main malady lies in the structure of our society, in the economic constitution of our society in which one class lives on exploitation and another class goes on being exploited because, otherwise the hard-working labourers, the hewers of wood and drawers of water would not get even a square meal and they cannot feed their children and other family members. As a result this exploitation is going on and the sort of remedy which is suggested will remain only in letter and not in deed.

Now, what will be the effect? The effect will be serious, I know, because if this sort of exploitation will go on, people who are exploited will become

larger and larger in number. I know that the figure of unemployment is growing higher and higher every year. The result is inevitable and that will be the destruction of the present economic order. We cannot remove it only by pious wishes. We cannot remove this inevitable conditions only by giving assurances about reservation of certain percentage of posts to the backward classes Scheduled Castes and Scheduled Tribes and so on. I think, Mr. Vice-Chairman, Sir, unless and until the present structure of our society is done away with, unless and until we do away with exploitation from our society, unless and until we can give every citizen the guarantee to employment and the right to work, and until and unless we do away with this evil of right to private property, whatever remedy we might suggest, the ultimate aim cannot be achieved. The ultimate aim will always be lingering as paralysis in our society. If one limb of a man is very much strong, but the other limb is paralysed. What is his condition? He cannot move. If one limb of a person becomes disproportionately heavy and another limb is paralysed, the person cannot move. So, this disparity between the haves and the have-nots will paralyse the whole society and ultimately the destruction of the society will be the inevitable result. So, I think, in order to do away with these evils, we must put in our Constitution the right to work for every able-bodied citizen and the right to private property be done away with. Unless and until we can do that, this sort of giving percentage to such and such persons will not do away with the evils, which is contemplated.

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री रवी राय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। उनका समर्थन करने हुए जो बात मैं आरम्भ में कहना चाहता था वह श्री महादेव प्रसाद वर्मा जी ने कह दी। रवी राय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री रवी राय

अब वह रवी राय नहीं हैं जो इधर बैठा करते थे और जो दिल में आया नारा लगाया करते थे। कई दफा सदन में नीचे भी बैठे। अब रवी राय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी एक प्रस्ताव लाए और श्री मंडल किसी की सलाह पर टाल जाएं यह जनता पार्टी को शोभा नहीं देगा। इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। मैं यह मानता हूँ; जैसा वर्मा जी ने कहा कि कुछ समय के लिए जात-पात को यह बढ़ावा देगा लेकिन यह देश हमारा अजीब है। यहां जात-पात का अगर हिसाब लगायें, मैं पार्टी के सिस्टम में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि चौधरी ब्रह्मप्रकाश चीफ मिनिस्टर दिल्ली बने तो उनके खिलाफ बावेला इतने जोर से उठाया गया कि असेम्बली ही तोड़ दी गई, और जाति के चीफ मिनिस्टर बनते रहे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यह देश बहुत अजीब है। इस देश के अन्दर धारणा ऐसी है कि जात-पात का भाव पैदा होता है गरीबों में और देहताओं में। बजाय इसके कि उनकी लुटियों को वह देश के सामने लायें वह यह कहते हैं कि अगर उनको शक्ति मिलेगी चाहे वह मंडल हो, चाहे ठाकुर हो या यादव हो तो शोभा नहीं देगा। यह एक भावना रहती है।

अभी मेरे पूर्ववक्ता ने एक सिद्धान्त की बात कही। यह बात दुरुस्त है कि जब तक हर एक आदमी को काम का हक कानूनी तौर पर नहीं देंगे उस वक्त तक यह संरक्षण और आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी। हम संरक्षण क्यों मांग रहे हैं? जैसा आपने कहा उसके मुताबिक हम मांग रहे हैं। कंस्टीट्यूएण्ट असेम्बली से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। और तब से ऐसा कह रहा हूँ लेकिन हम यह देखते हैं कि गांव के हरिजन जिनके पास अनाज नहीं, चीनी नहीं उसकी पैदावार के लिए कोई संरक्षण नहीं। 80 फी सदी खेती का काम करने वाले भाई हैं, इसमें से

[श्री रणबोर सिंह]

नौकरियों का हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि नौकरी कोई पैदावार नहीं, पैदावार तो जमीन से या कारखानों से होती है ।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

अगर जमीन और कारखानों का ही हिसाब लगाया जाये तो खेती की जो पैदावार है वह 45 से 50 के बजाय 60 फीस दी है ।

लेकिन हम इसके लिये कितना पैसा देते 4 P.M. है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर

हमें यह संरक्षण देना है तो जातिवाद से ऊपर उठकर देना होगा । जो जितना पैदा करते हैं उनके लिए हमें उतना ही खर्च करना चाहिए । आज संरक्षण उन लोगों को नहीं दिया जाता है जो गुड़ की पैदावार करते हैं, जिनके पास एक किला या दो किला जमीन है । जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गुड़ का संरक्षण हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर वह सारा का सारा नष्ट हो जाता है तो हम इतना नुकसान नहीं उठायेगे । उनका कहना है कि अगर इसके संरक्षण में नुकसान होता है तो हम गुड़ को क्यों खरीदेंगे । मैं पूछता हूँ कि संरक्षण और आरक्षण की इसलिए जरूरत है कि इस देश की आजादी के बाद दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपयों की सबसिडी हर साल उन 15 प्रतिशत लोगों को दी गई है जो सरकारी आदमी हैं या जो शहरों में रहने वाले हैं । उन लोगों को सस्ता अनाज मिले और उनको कोई कठिनाई न हो, इसी बात को अब तक ध्यान में रखा गया है । गांवों के अन्दर जो किसान हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आज हमारे देश में यह स्थिति हो गई है कि गांव का किसान जो गन्ना पैदा करता है, जो सब का जीवन चलाता है, उसको किसी प्रकार की सबसिडी देने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है । शाही जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं । उनकी पार्टी के मंत्री की तरफ से इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि गुड़ अगर नष्ट हो जाता है तो

उसको हम कोई संरक्षण नहीं देंगे । श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी भगवान के प्यारे हो गये, उनका स्वर्गवास हो गया, वे आंकड़े दिया करते थे कि कितने लोगों के हाथ में आज हमारे देश में प्रशासन तंत्र चल रहा है । उनका कहना था कि हमारे देश में कुल 7 सौ या 8 सौ कुटुम्ब होंगे जिनका हिन्दुस्तान की सारी नौकरियों पर कब्जा है । इसी प्रकार के लोग हमारे देश की पार्टियों में भी फैले हुए हैं । आज हमारे देश में यह हालत हो गई है कि अगर कोई मुख्य मंत्री यादव जाति का हो जाता है तो वह जातिवाद का द्योतक बन जाता है । दूसरा कोई मुख्य मंत्री हो तो उसको जातिवाद का द्योतक नहीं माना जाता है । हमारे देश में जितने भी ऊंचे - ऊंचे पद हैं या जो योजना कमिशन के सलाहकार हैं वे सब ऊंची ऊंची जातियों से संबंध रखते हैं । चीनी खाने के लिये विदेशी मुद्रा भी खर्च की जा सकती है, लेकिन गांवों के लिये बिजली पैदा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है । अगर गांवों का विकास करने की बात कही जाती है या उसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करने की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि इस प्रकार मुद्रा स्फीति से तो देश तबाह हो जाएगा । यह बात किसी की समझ में नहीं आती कि जब तक गांवों में रहने वाले गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है ।

अभी श्री महन्ती जी ने लायक और नालायक की बात कही । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि लायकी किस चीज को कहते हैं और नालायकी किस चीज को कहते हैं, इसका फैसला कैसे होगा । हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत से मुख्य मंत्री हुए । देश की आजादी के बाद अनेक मुख्य मंत्री राज्यों के अन्दर हुए । श्री कामराज भी तामिलनाडु में मुख्य मंत्री हुए । वे न तो अंग्रेजी जानते, थे और न ही हिन्दी जानते थे

और इनकी फाइलों को पढ़ना भी नहीं जानते थे । लेकिन उनके मुख्य मंत्री बनने के बाद उस तामिलनाडु के अन्दर आज भी बिजली से चलने वाले पम्पों की तादाद देश भर में सब से ज्यादा है । ऐसी हालत में यह कहना कि एम० ए० एल० एल० बी० ही लायक होता है, और दूसरे लोग नहीं होते हैं तो यह कोई उचित बात नहीं है । उप-सभापति जी, मुझे भी 15-16 चीफ इंजीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला है । और मैंने देखा कि वह मिस्त्री, जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वह बताते हैं कि साहब यह लिख दो । आजकल डाक्टरों की कक्षा में प्रवेश का जो इम्तिहान होता है उसमें क्या देखते हैं ? उसमें देखते हैं कि अंग्रेजी किसको अच्छी आती है, यह नहीं देखते कि सेवा कौन कर सकता है । गाली खाने के बाद, माता पिता की गाली खाने के बावजूद भी दवाई सही कौन दे सकता है । हमारे संविधान में लिखा है कि भेदभाव नहीं होगा । लेकिन भेदभाव है । जो बच्चा बचपन से टेलीविजन देखता है, बचपन से पैदा होने से पहले मां के गर्भ में टेलीविजन देख लेता है, उसका मुकाबला देहाती बच्चे, जिसने कभी टेलीविजन बिल्कुल नहीं देखा कैसे करेगा । इसके हिसाब से ही नम्बर दिये जाते हैं । मेरा दावा है और मैंने यह देखा है कि जो इम्तिहान में अंग्रेजी पास होते हैं, मैं फौज का जिक्र कर रहा हूं, तो जो अंग्रेजी के इम्तिहान में आगे आये वह लड़ाई के मैदान में भागते नजर आये और वह अफसर जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, जिनको लिखना कम आता था, और किसी के कारण भर्ती हो गये, उन्होंने देश की रक्षा की । वह अच्छे अफसर बने । अच्छी अंग्रेजी जानने से किसी आदमी की लियाकत बढ़ती हो तो ऐसी बात नहीं है । मुझे माफ करेंगे जो उन्होंने ख्याल दिया कि अंग्रेजी से लियाकत बढ़ती है । बंगाल में बड़े क्रांतिकारी हुए । उत्तर प्रदेश की जागीरदारी खत्म हो गई, लेकिन बंगाल की जमींदारी खत्म नहीं हुई, कांग्रेस के 30 साल के राज में । मैं कल्पनाथ

राय जी की इस बात से सहमत हूं कि किसी भी लियाकत को अंग्रेजी से आंकना बिल्कुल गलत है और यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि यह बात अभी भी चल रही है । मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि जनता पार्टी के जो नये-नये मंत्री बने, तो उन में से कई दोस्तों ने अपना जवाब हिन्दी में दिया । तो कुछ दोस्तों ने यह मांग की कि अंग्रेजी में जवाब होना चाहिए, बावजूद इसके कि यहां पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के जरिये वह उस बात को सुन सकते हैं । अगर एक मंत्री हिन्दी में जवाब देना चाहता है तो सदन के कुछ सदस्य उनको अंग्रेजी में बोलने के लिए क्यों मजबूर करते हैं । मानो वह किसी इलाके के झगड़े में फंसे हुए हैं । हिन्दी देश की भाषा है, देश की लिंग लैंग्वेज हिन्दी रखी गई है, संविधान बनाने वालों की तरफ से । आज 30 साल बाद भी हिन्दी में उनके जवाब पर आपत्ति होती है तो यह इस बात को जाहिर करता है कि हमारे देश के अन्दर संरक्षण और आरक्षण के बगैर गरीब कभी चल नहीं सकता । हरिजनों को आज भी चीनी नहीं मिलती गांवों में । हां मैं यह जरूर मानता हूं कि हरिजनों के नाम से कुछ ही लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंचना चाहिए । एक स्तर हो और उस स्तर के ऊपर जो पहुंच गया हो . . .

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Even in the Constituent Assembly only by the casting vote of Dr. Rajendra Prasad it was decided that Hindi shall be the *lingua franca*.

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, मैं श्री जी० लक्ष्मणन् साहब की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वह तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मैं तो संविधान सभा का सदस्य था । मैं उनको बताना चाहता हूं कि डा० राजेन्द्र प्रसाद . . .

SHRI G. LAKSHMANAN: I am only telling you how it was decided

[Shri G. Lakshmanan]

in the Constituent Assembly, It was decided by one-vote majority.

श्री रणबीर सिंह : Please listen to me, my friend...

यह तो बिल्कुल गलत बात है। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को कभी भी कांस्टिट्यूटेंट असेम्बली में राय देने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह उसके प्रधान थे। बल्कि सही बात यह है कि जब भाषा के बारे में संविधान सभा ने रेजोल्यूशन (Article) पास किया।

SHRI G. LAKSHMANAN: Only by one vote it was decided in the Constituent Assembly.

SHRI RANBIR SINGH: Please try to have some knowledge from others also.

यह तो इतिहास की बात है। उपसभापति महोदय, अगर जी० लक्ष्मणन साहब इनकार करने हैं तो वे लायब्रेरी के अन्दर संविधान सभा की रिपोर्टें पढ़ें। और यदि वे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हम जो जिदा है हम से ही सुन और समझ लें। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ। उनकी जानकारी के लिए कि संविधान सभा में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कभी अपनी राय नहीं दिया करने थे। क्योंकि वे संविधान सभा के प्रधान थे। संविधान सभा में जब भाषा के बारे में प्रस्ताव पास हुआ तो वह सर्वसम्मति से हुआ। इसमें महर्षि राजर्षि टंडन जी का इतिहास था। उनका किस बात में इतिहास था हमारे कृष्णकांत जी के पिता लाला अनंत राम ने खिलाफ राय दी कि यह जो आंकड़े हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा अंग्रेजी के यह आंकड़े इंटरनेशनल हैं और ये हिन्दुस्तान से गए हैं। तो टंडन जी ने कहा यह मेरे लिए आत्मा का सवाल है और यह आंकड़े हिन्दी के ही होने चाहिए अंग्रेजी वाले नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर विरोध प्रकट हुआ था संविधान

सभा में। आप जाकर लाइब्रेरी में यह चीज पढ़ें। पता नहीं आपके दिमाग में यह बात कहां से आ गई कि डा० राजेन्द्र प्रसाद की राय से हिन्दी देश की निक भाषा बनी। उपसभापति महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा मुझे ये दूसरी तरफ खींच कर ले गए। मैं तो आर्थिक विषय के बारे में बात कर रहा था। मुझे भाषा से बँर नहीं है। मैं तो जिस वक्त ये राजनीति में पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त अंग्रेजी का प्रेजुएट बना था और 31 वर्ष मुझे हो गए हैं लोक सभा, राज्य सभा तथा कांस्टिट्यूटेंट असेम्बली तथा विधान सभाओं में रहा हूँ। मैं सात सदनों का सदस्य रहा हूँ।

SHRI G. LAKSHMANAN: For your information, my age is 54.

श्री रणबीर सिंह : तो उसको दो से डिवाइड कर लो। मेरे खयाल में शायद ही कोई एक-आध सदस्य होगा जो सात सदनों का सदस्य रह चुका हो। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मुझ को भाषा का कोई विरोध नहीं है। न अंग्रेजी से विरोध है न ही दक्षिण की दूसरी भाषाएँ हैं उनसे विरोध है। उनसे मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूँ उनमें काम शुरू हो। लेकिन विदेशी भाषा में इम्तहान में टेस्ट न हो। विदेशी भाषा की बिनाह पर नौकरी मिलेगी, दाखिला मिलेगा, यह गलत है। मैं महुंती जी को बताना चाहता हूँ कि मद्रास के अन्दर उन्होंने 10 फीसदी ब्राह्मणों के लिए नौकरियाँ रिजर्व कर दी तो वे 49% वाले चक्कर में नहीं आए। तो 90% दूसरों के लिए अपने आप रिजर्व हो गई। 25% पोस्टे उनके लिए रिजर्व कर दो और बाकी हमारे लिए रहने दो। यू० पी० एस० सी० के मैनबर हैं और चेयरमैन हैं या प्रदेशों के पब्लिक सर्विस कमीशनर हैं उन सब को पिछड़ी जातियों में से छांट दो। यह मानना कि पिछड़ी हुई जातियों में देहात वाले नौकरी के लायक नहीं हैं। वे इस बात को नहीं जानते हैं कि

अगर मज को नौकरी से हटा दिया जाए तो भी आज हरिजन अकेले नौकरी की आसामियां पूरी कर सकते हैं, आई० ए० एस० बन सकते हैं, आई० पी० एस० बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज लियाकत की बिनाह पर उनको आगे नहीं आने दिया जाता हो। बात यह है कि जिनका ठेका नौकरियों पर होता है वे दूसरे खानदानों को नहीं आने देते हैं। गांव के ब्राह्मणों को दाखिला नहीं मिल सकता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम किसी तरीके से यह जो ठेकेदारी बन गई है उसकी ठेकेदारी तुड़वा लें। जिस प्रकार जागीरदारी समाप्त हो गई है, रजवाड़ा शाही खत्म कर दी है, नौकरियों में भी उसी तरह ठेकेदारी को हमें खत्म करना चाहिए। इस काम में हमें घबराना नहीं चाहिए। मंडल साहब यह लियाकत की बात वहकाने वाली बात है। जो भी जवाब आप देने है अपनी भाषा का जवाब दें। मंत्रालय द्वारा लिखा हुआ जवाब विलकुल न मां। जो भी जवाब सेक्रेटरी से ड्राफ्ट होकर आया हो अगर वह आपके मन के खिलाफ है तो उसका उल्टा लिखो तो जवाब अपने आप सही हो जाएगा। मैं फिर प्रस्तावक महोदय से निवेदन करता हूं कि भाई इस तरह से जनता पार्टी की पापुलेरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। पापुलेरिटी नहीं बढ़ने वाली है कि प्रस्ताव पास हो और आप उसके लिए सर्विस में आरक्षण, संरक्षण न कर सकें। अगर आरक्षण, संरक्षण कर सकें तो होगी लेकिन आपके साहस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभापति जी, रबी राय जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। पहले तो इनकी नीयत पर मुझे संदेह हुआ। मैंने सोचा कि रबी राय जी ने यह मौका क्यों चुना? क्या जो दक्षिण भारत में चुनाव चल रहे हैं उसी को मद्दे नजर रखकर वे इस प्रस्ताव को लाये हैं।

फिर दूसरी बात यह आयी कि स मन्तवाद के सच्चे पुजारी और पूँजीवाद के रक्षक लोग जिनकी यह सरकार बनी हुई है और रबी राय जी भी उसी के एक घटक है, उनकी नीयत क्या है? इस समय वे प्रस्ताव क्यों लाये? इन सब कारणों की वजह से मुझे उनकी नीयत में कुछ संदेह मालूम हुआ। फिर एक और बात के कारण भी संदेह हुआ कि उन्होंने काका कालेलकर जो बैंकवर्ड क्लास कमिशन के अध्यक्ष थे जो सन्, 1953 में बना था और जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। इस कमिशन के एक मेम्बर जीवित भी हैं श्री चौरसिया जी। इन लोगों ने अथक परिश्रम करके बैंकवर्ड क्लास कमिशन में सारे प्रांतों का दौरा करके एक रिपोर्ट दी। लेकिन वह रिपोर्ट आज तक इस सदन में डिस्कशन के लिए नहीं आयी और न उसका इम्प्लीमेंटेशन हो हुआ। फिर रबी राय जी ने इस काका कालेलकर बैंकवर्ड क्लास कमिशन की रिपोर्ट का हिस्सा क्यों नहीं अपने भाषण में जोड़ा। उन्हें जोड़ना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात जरूर ठीक लगती है इसलिए कि रबी राय जी समाजवादी आंदोलन में सदा से रहे हैं। वहां बैठने पर भी उन्हें इसकी चिंता रहती है कि गरीबों के हक में कुछ किया जाना चाहिए। खैर जो भी हो करें। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े हैं कौन? पिछड़ेपन का कारण क्या है, पिछड़ेपन को दूर करने के आंदोलन इस देश में कब से शुरू हुए और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वे चाहते क्या हैं? ये चार मुद्दे हैं जिन पर कि मैं बोलना चाहूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि पिछड़ेपन के दो कारण हैं एक जातीय पैदाइश है कि किस जाति में आदमी पैदा हो और दूसरा एक्सट्रीम पावर्टी पूरी गरीबी है। ये दो ही पिछड़े वर्गों के प्रधान कारण हैं। अगर आप इस हिन्दुस्तान की सामाजिक रचना को देख लें तो आप इस निष्कर्ष पर सीधे पहुंचेंगे कि जो जाति जितनी ही ऊंची है आप उसे तथाकथित

[श्री रामानन्द यादव]

कहिए, उसके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार उतने ही अधिक हैं। जैसे आप वर्ण के आधार पर ले लीजिए जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रीय हैं इनके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार काफी हैं और जो जितनी छोटी तथा कथित जातियां हैं जैसे वैश्य, इस देश के मुसलमान, हरिजन आदिवासी और जो कन्वर्ट्स क्रिश्चियन और औरतें इनके पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार उतने ही कम हैं। जैसे आप देख लीजिए जो सबसे नीची जाति है जिसको डोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, उसके आर्थिक साधन क्या हैं? जब मुर्दा जलाने के लिए मुरघटिया में पहुंचता है तो वे आग लेकर खड़े हो जाते हैं और मुर्दे को आग देते हैं। इससे उनको 2 या 3 रुपये मिलते हैं। फिर कफन जो छूटता है वे उस कफन को ले लेते हैं अपने तन को कने के लिए। बांस जो होता है खोदने वाला जिसको लोग धोकर ले जाते हैं वह उसको ले लेते हैं दोरी बनाने के लिए। मौनी बनाते हैं, सूप बनाते हैं और बाजारों में बेचते हैं और उससे जीविका का उपार्जन करते हैं—यह है उसका साधन। अगर मार्क्स इस देश में पैदा हुआ होता तो आज उसकी थियोरी हम नहीं देख पाते। उसकी थियोरी में वह परिवर्तन लाए। मैं इस बात को मानता हूं कि गांधी जी मार्क्स के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट थे और गांधी जी ने जो इस देश में वर्ण-व्यवस्था के आधार पर अपना जो आर्थिक विश्लेषण किया उसने समाज को एक नयी दिशा दी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में क्या कारण है यह आंदोलन चला और कब से चला? आप देखेंगे, बाल्मीकि इतने बड़े संत हो गए, इतिहासकारों ने क्या लिखा कि वे डाकू थे, चम्पारन के जंगलों में रहते थे, बड़ी जात के लोगों ने बाल्मीकि को डाकू कहा। फिर आइए उसके बाद—वशिष्ठ और विश्वामित्र

जी राजपूत थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे; उन दोनों की लड़ाई हुई। वशिष्ठ ने इस आंदोलन को शुरू किया, बाल्मीकि ने शुरू किया। फिर आइए—भगवान बुद्ध ने आंदोलन शुरू किया पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और इस देश के सबसे बड़े रिएक्शनरी शंकराचार्य जी ने उस बड़े क्रांतिकारी मूवमेंट को दबा दिया, और आज वह आंदोलन इस देश में न रह कर, उस आंदोलन का विचार दूसरे देशों में, विषमता का, चला गया और जो विषमता यहां रह गई उसका कारण है कि भगवान बुद्ध के कभी हिन्दू शास्त्रकारों ने स्वीकार नहीं किया है भगवान। फिर देखिए, हमारे आधुनिक लोगों में कबीर साहब ने इस आंदोलन को चलाया, संत रविदास ने चलाया और दूसरे संतों ने चलाया। अब वर्तमान युग में आइए, जब अंगरेज आए, जस्टिस पार्टी बनी—क्यों बनी? दक्षिण भारत में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जस्टिस पार्टी बनी; नैयर साहब ने आंदोलन किया चेन्नियार ने किया, कोल्हापुर के महाराजा ने किया, डाक्टर अम्बेडकर ने किया, महात्मा गांधी जी ने किया और विभिन्न प्रान्तों में इसी तरह के आंदोलन छिड़े। बिहार राज्य में श्री शिव प्रसाद मंडल, देवी शरण सिंह, मुहम्मद कयूम अंसारी—मुहम्मद नूर ने आंदोलन चलाया। फिर यू० पी० में चौरसिया जी ने चलाया। कारण यह था कि 1937 में मिनिस्ट्री बनी और उस मिनिस्ट्री में चूंकि ब्रिटिश राज्य को खदेड़ने के आंदोलन में पिछड़ी जातियों में से, हरिजनों में से आदिवासियों में से कम नहीं थे—बिहार के अंदर ले लीजिए। बिहार में शिव नंदन प्रसाद मंडल किसी भी ऊंची जाति के जो लोग वहां थे, किसी से आंदोलन में पीछे नहीं थे और हमारे बिहार में जो आदिवासियों का एक ऐसा आंदोलन चला कि वे अंगरेजों से लड़ते-लड़ते पहाड़ की चोटी पर चले गए, लेकिन जब सन् 1937 में मिनिस्ट्री बनी तो बिहार राज्य में कोई पिछड़े वर्ग का नहीं लिया—एक मुसलिम लिया गया, एक

हरिजन लिया गया, लेकिन पिछड़े वर्गों की इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए भी एक आदमी नहीं लिया गया ।]

फिर सर्विसेज में ले लीजिए सर्विसेज में क्या होता है ? ऊंची जाति के लोग सर्विसेज को मोनोपोलाइज किए हुए थे और किए हुए हैं । आज भी जो जातियां हैं वे चाहती हैं सर्विसेज में उसी की जाति के लोग आ जाएं आप नक़्शा उठा कर प्रांतों का एडमिनिस्ट्रेशन जात के आधार पर देख लें कि बड़ी जातों के कितने आई० जी० हैं, कितने आई० जी० मुसलमान हैं या कितने आई० जी० आदिवासी हैं या कितने आई० जी० क्रिश्चियन हैं । फिर आप देख लीजिए मिनिस्ट्री में । छोटी सी एक बात देख लीजिए । अम्बी गांधी जी का नाम लेकर, इलेक्शन जीत कर यह लोग राजघाट पर गए, कसमें खायाँ और गांधी जी की दुहाई दी और गांधी जी चाहते थे कि उनकी इच्छा के अनुसार जब सरकार बने, राष्ट्रीय सरकार, तो उसका मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति हरिजन हो । जगजीवन बाबू की बदौलत यह जनता पार्टी की सरकार हुई, उन का भी कांद्बिब्यूशन बहुत रहा लेकिन जगजीवन बाबू की बात आयी तो जयप्रकाश जी बदल गये । मोरार जी भाई कैंडीडेट हो गए और दूसरे लोग हो गये और जगजीवन बाबू नहीं हो सके और न होंगे । इस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिलों में क्या है । जब पिछड़े वर्ग के जाति के लोगों के मन में इस तरह के तूफान उठते हैं ...

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे साथी गलत आरोप लगा रहे हैं कि जयप्रकाश जी बदल गये । यह तो डेमोन्स्ट्रेशन है । (Interruptions) जिसका बहुमत था वह प्रधान मंत्री हुआ । आप बड़े दानी है तो बताइये कि 1952 से ले कर 1978 तक आप ने किस हरिजन को प्रधान मंत्री बनाया । पांच दिन से जनता पार्टी पैदा हो गयी तो उस पर आप को एतराज है कि उस ने हरि-

जन को नहीं बनाया । कभी आप बनाये होते तो आप को कहने का हक था कि वैसा हम ने नहीं किया । आप ने तो कभी किया नहीं, और श्रीमन्, आज आप ही देखिये कि जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को बनाया, रामनरेश यादव को बनाया वह क्या है ?

श्री रामानन्द यादव : उन को अच्छा नहीं लग रहा है । इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम पिछड़ी जाति की वकालत करते हैं तो उन के दिल में कैसा तूफान उठता है । यही बात हमारे मन के अंधर उन के प्रति संदेह पैदा करती है । वह लोग तो पिछड़ी जाति के नहीं हैं । वह तो भूमिहार हैं ।

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम ने शास्त्री जी के लिए प्रस्ताव किया था लेकिन आप कमलापति जी के लिए लड़ते रहे । हम ने शास्त्री जी के लिये प्रयास किया था । यही फर्क है हमारे और आप के बीच में ।

(Interruptions).

श्री रामानन्द यादव : मैं आप को बतलाऊं कि पिछला आन्दोलन जो बिहार में चला उस बारे में शाही जी ने कहा कि तुम ने पिछड़ों में से किसी की मुख्य मंत्री नहीं बनाया । हमारे मुसलमानों में एक कहावत है कि जो नया मुसलमान होता है वह प्याज ज्यादा खाता है । हमारे मुसलमान भाई इस का बुरा नहीं मानेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है । शाही जी नये नये जनता पार्टी में गये हैं और दो तरह से चोट खाये हैं । उन की यह बात ही साबित कर रही है कि वह वहां नये नये हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं जन्म से ही जनता पार्टी का हूं । आप ही दलबदल रहे हैं । मैं तो जन्म से ही जनता का हूं ।

श्री रामानन्द यादव : पिछले कांग्रेस रिज्मि में भोल। पासवान शास्त्री जी मुख्य मंत्री थे । जब पिछला जयप्रकाश जी का

[श्री रामानन्द यादव]

आन्दोलन चला तो वह आन्दोलन इस लिये चलाया गया था कि कांग्रेस ने एक मुसलमान को वहां का मुख्य मंत्री बनाया था। उन का नाम था अब्दुल गफूर। वह जेल गये हुए थे आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो कर भी उस आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन को गधे की पीठ पर बिठा कर घुमाया गया था और चूने का टीका लगाया गया था। लेकिन उस ने सेकुलरिज्म के झंडे को बुलन्द किया और कांग्रेस पार्टी ने उस को वहां का मुख्य मंत्री बनाया। तो जयप्रकाश जी के आन्दोलन में वही समाजवाद का झंडा उठाने वाला व्यक्ति रिएक्शनरी हो गया।

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जयप्रकाश जी ने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर को बनाइये।

श्री रामानन्द यादव : आप चित्लाइये मत। चेयर कैन चेक मी ऐंड नाट यू। यह काम आप के करने का नहीं है। तो जयप्रकाश जी ने श्री अब्दुल गफूर के खिलाफ वह आन्दोलन चलाया।

श्री रणबीर सिंह : आप अब्दुल गफूर की सलाह पर चलिये मत, हमारे साथ आइये। आप वहां क्या कर रहे हैं।

SHRI G. LAKSHMANAN: The resolution is that 60 per cent reservation should be given to backward classes. What is this Janata, Congress, D.M.K. and others? Let him speak on the subject. Then there would be no trouble.

श्री रामानन्द यादव : अब मैं कहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोग चाहते क्या हैं? उनकी माली हालत और पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है। ठीक है हमारे एक मित्र ने कहा कि राइट आफ प्राइवेट प्रापर्टी अबोलिश कर दो। मैं चाहता हूं कि यह

अबोलिश हो क्योंकि जब तक इस देश से व्यक्तिगत सम्पत्ति का समूल विनाश नहीं हो जाता है तब तक जात-पात समूल रूप से इस देश से नष्ट नहीं हो सकता है। तो एक तो दूरगामी रास्ता है और दूसरा तात्कालिक रास्ता है।

दूरगामी रास्ते के लिए और तात्कालिक रास्ते के लिए कुछ ठोस सुझाव मैं देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि वेलफेयर मीजर्स जितने ऐडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से होते हैं उतने किसी और संगठन के माध्यम से नहीं होते। तो मैं यह चाहता हूं कि सर्विसेज में जो सारा पिछड़ा वर्ग है, मुसलमान, हरिजन, आदिवासी, महिलायें—कल्पनाथ जी के सेंटीमेंट्स की रक्षा करते हुए—बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, माइनारिटीज को आज ऐडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास नहीं रह गया है क्योंकि हरिजन रात दिन मारे जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रात दिन मारे जा रहे हैं। आपने देखा बनारस में दंगा हुआ, कानपुर में दंगा हुआ, छपरा में दंगा हुआ, लखनऊ में दंगा हुआ। मुसलमानों पर भी अत्याचार, क्रिश्चियनों पर भी अत्याचार। ऐडमिनिस्ट्रेशन से लोग की आस्था घट गई है। आस्था तब बढ़ेगी जब सर्विसेज में इन जातियों के लोगों को आप रिजर्वेशन दे दें। वह आप दो तरह से दे सकते हैं।

काका कालेलकर ने जैसे रिक्मंडेशन किया है उस ढंग से दिया जाय। ऐसे नहीं देना है तो पापुलेशन के आधार पर दीजिए। मैं तो चाहूंगा कि पिछड़ी जातियों की जो आबादी है जिसकी सेन्सस आपके पास है, उसके आधार पर आप कर दीजिए। नहीं तो काका कालेलकर ने जो न्यूनतम मांग की है—काका कालेलकर एक पवित्र ब्राह्मण थे, उन्होंने निष्ठापूर्वक वह रिपोर्ट लिखी है लेकिन आज तक सदन के सामने वह नहीं आई, आज तक उसको इंलीमेंट नहीं किया गया। आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि किस

तरह से उन्होंने इस देश के कोने कोने में घूमकर एक रिपोर्ट तैयार की। दूसरा कमीशन बनाने की क्या जरूरत है। चूंकि प्रांतों में इस बात की मांग हो रही है, जैसे कि बिहार सरकार ने किया, लेकिन कैबिनेट में डिस्मिशन नहीं हो सका। कर्पूरी ठाकुर भी चाहते थे कि सर्विसेज में रिजर्वेशन कर दिया जाए पिछड़ी जातियों के लोगों का लेकिन भीम बांध पर जहां मीटिंग हुई वहां मारपीट हुई। रामनरेश यादव साहब ने कहा। तो क्या आप चाहते हैं कि एक और बैकवर्ड कमीशन वैठाकर इस इश्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए समय लेना चाहते हैं? यह पुराना कमीशन है। मीनिमम है इसको इंप्लीमेंट कीजिए।

तो मैं सरकार से पहली मांग यह करता हूं कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। दूसरी हमारी मांग यह है कि जितनी शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, उन सभी में रिजर्वेशन आफ ऐडमिशन होना चाहिए, नामांकन का आरक्षण होना चाहिए। नम्बर किसके अधिक आयेंगे, जिसको अधिक सुविधायें होंगी। आज देहात का पढ़ने वाला जो है उसके पास लालटेन नहीं, तेल नहीं। फिर कहां से पढ़कर टेक्निकल एजुकेशन में वह जा सकेगा? वह तो पैदल जाएगा और यहां पर चार-चार गाड़ियां हैं, धनिक वर्गों के लिये। जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, टेक्नीकल, नान टेक्नीकल और साइंस की जो संस्थाएँ हैं उन सब में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, यह मेरा कहना है।

तीसरा मेरा कहना यह है कि बैकवर्ड क्लास के डेवेलपमेंट के लिये अलग मिनिस्टरी बनाइये। वह केन्द्र में भी हो और प्रांतों में भी हो। पिछड़ी जाति के जो बैलफेयर के काम हैं वे इसी मिनिस्टरी के माध्यम से होने चाहियें। उसका जो मंत्री हो वह भी पिछड़ी जाति का हो। यह आपको करना है।

यह सरकार से मेरी मांग है। मैं चाहूंगा कि इस बात को लेकर लड़ाई करने की आवश्यकता है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो बड़ी-बड़ी पोस्टें हैं, जैसे सबसे अधिक आयाचार से हमारी रक्षा कर सकती हैं पुलिस, हमारी रक्षा कर सकती है जुडिशियरी, हमारी रक्षा कर सकती है मजिस्ट्रेसी, सबमें हमारे लोग होने चाहियें, लेकिन इन तीनों में से किसी में भी हमारे लोग नहीं हैं, न कोई हरिजन है, न कोई पिछड़ी जाति का है, न मुसलमान है और न कोई आदिवासी है। मैं आपसे पूछता हूं जरा बताइये कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनमें कितने क्रिश्चियन हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हरिजन हैं? प्रांतों को ले लीजिए। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनमें कितने इन जातियों के लोग हैं? इन जातियों का एक भी व्यक्ति इन पदों पर नहीं है। ऐसा क्यों है? आप डिस्ट्रिक्ट जजों को ही ले लीजिए। उनके आंकड़े उठा कर देख लीजिए कोई भी इस जाति का व्यक्ति नहीं मिलेगा, सभी ऊंची जातियों के व्यक्ति मिलेंगे।

SHRI K. K. MADHAVAN: In the Kerala High Court there are Muslims as well as members of backward classes.

श्री रामानन्द यादव : मैं यह चाहूंगा कि उसमें इनका संरक्षण हो और चाहे जैसे हो सरकार को इन बड़े-बड़े पदों पर इनको रखना चाहिये।

एक बात और रिज्यूमेंट आफ सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि इसके लिये एक अलग बोर्ड बनाना चाहिये। वही बोर्ड सारे रिज्यूमेंट करे। तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक हमारी तात्कालिक सेवा हो सकेगी।

[श्री रामा नन्द यादव]

एक बात और है कि यह जो लेजिस्लेटिव असेम्बली है, राज्य सभा है, विधान सभा है, मंत्री परिषद है, इन सब में अनिवार्य रूप से सब जातियों के मंत्री रखे जाने चाहियें और वह भी पापुलेशन के आधार पर। भारतवर्ष की जो मंत्री परिषद है उसको जरा देख लिया जाए कि उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने पिछड़ी जाति के हैं। भारत में जिम्मे इतने वर्षों शासन किया, क्या उसमें एक भी योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको आप रख सकते। इन्दिरा गांधी ने यह सब किया था। उन्होंने भारतवर्ष का राष्ट्रपति मुसलमान बनाया था, चीफ जस्टिस मुसलमान बनाया था। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो मंत्रिपरिषद है, विधान सभाएं हैं इन सब में पापुलेशन के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को संरक्षण दीजिए, तब उठान हो जाएगा उन लोगों का, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। आप देख लीजिए कि जनता पार्टी की सरकार अधिकांश बड़े पदों पर ऊंची जाति के लोग रखे हुए हैं। मंत्री परिषद को उठा लीजिए सब पंडितजी, पंडित जी भरे हुए हैं। क्रांति कैसे होगी? क्या इसी से क्रांति होगी। लोहिया जी के सिद्धांतों को मानने वाले रबी राय जी, मधु दण्डवते जी, जैसे लोग जो इसमें बैठे हुए हैं, उनको तीर कमान लेकर इस जातिवाद के खिलाफ बोलना होगा। लोहिया जी जो इस आन्दोलन के भक्त रहे हैं, उस आन्दोलन के लिये लड़ना होगा। ये लोग जब जवाब देने उठते हैं तो मैं देखता हूं इधर-उधर बगल में देखते हैं कि कहीं कोई बड़ी जाति का व्यक्ति तो नहीं बैठा। मैं कहता हूं जरा हिम्मत लाइये। बिना हिम्मत लाए काम नहीं चलेगा। अन्त में एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : अब आप कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रामानन्द यादव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के माध्यम से इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए कि हमारे देश में जो भी पार्टियां बनें, उनमें सबसे पहले यह देखा जाय कि वे पिछड़ी जातियों, हरिजनों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व देती हैं। आज क्या होता है कि जिधर जाइये, कांग्रेस दल में या अन्य दलों में, आपको पंडित जी ही उसके चेयरमैन मिलेंगे... (Interruptions)। जनता पार्टी का भी यही हाल है। मेरा कहना यह है कि किसी भी पार्टी को तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब वह पिछड़े वर्गों, हरिजनों, आदिवासियों और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दें। किसी भी पार्टी को मान्यता देने से पहले ये सारी बातें देखी जानी चाहिए कि उसमें हरिजन हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं और कितने मुसलमान हैं....

(Interruptions).

श्री उपसभापति : आपने काफी समय ले लिया है। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि पार्टियों को मान्यता इन्हीं बातों के आधार पर दी जानी चाहिए (Interruptions) जनाब, मैं इस बात को जानता हूं कि आप क्या हैं?

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि कोई कानूनी व्यवस्था इस तरीके की बनाई जानी चाहिए कि पापुलेशन के आधार किसी भी पार्टी में 60 प्रतिशत से अधिक स्थान नीचे से लेकर ऊपर तक इन जातियों को मिलने चाहिए। जब भी किसी पार्टी को मान्यता दी जाय तो इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर करे कि इस पार्टी में कितने परसेंट हरिजन हैं, कितने परसेंट पिछड़ी जातियों के हैं और कितने परसेंट मुसलमान हैं। इसके साथ-साथ वह कमीशन यह भी देखे

कि उस पार्टी में कितने परसेन्ट आदिवासी हैं। इन बातों को देख कर ही किसी पार्टी को मान्यता दी जानी चाहिए। मेरी इस प्रकार की मांग है और मैं चाहता हूँ कि रबी राय जी हिम्मत करके इस मांग को सरकार के सामने रखें। काका कालेलकर कमीशन ने जो रिकमेन्डेशन दी थी उनको सन् 1955 से अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इस प्रकार, से पिछड़ी जातियों का हित नहीं हो सकता है। इस बात से मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से नये-नये बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक आप पिछले कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक नया कमीशन बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कमीशन बनाइये, लेकिन उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट भी कीजिये। आपने माइनोरिटीज कमीशन बनाया, लेकिन उसका चेयरमैन एक मुसलमान को नहीं बनाया... (Interruptions.) श्री मसानी मुसलमान नहीं हैं। वे एक पारसी हैं। कृपया आप बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के साथ भी ऐसा न करें। अगर आपने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई कमीशन बनाना है तो उसमें इन्हीं वर्गों के लोगों को रखिये। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए जो इतना समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और साथ ही श्री रबी राय जी को भी इस सदन के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री जगदीश जोशी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं इस प्रस्ताव पर बहस को दल की नजर से नहीं देखना चाहता हूँ। मैं इसको सैद्धान्तिक आधार पर देखना चाहता हूँ। हमारा देश जिन परम्पराओं का शिकार रहा है, उन परम्पराओं को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। जिस आसानी से हम इन चली हुई परम्पराओं को तोड़ने की बात कहते हैं, उतनी आसानी से ये परम्पराएं

छूटने वाली नहीं हैं। अगर आप पिछले इतिहास पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि चाहे मुगल रहे हों, चाहे पठान रहे हों, या गुलाम रहे हों या अंग्रेज रहे हों, दिल्ली की गद्दी भले ही बदलती रही हो, नम्बर एक गद्दी, लेकिन नम्बर दो की गद्दी में हमेशा वही अभिजात वर्ग चारों तरफ देश के हर हिस्से में रहा। उसक नतीजा, जैसा कि माननीय कल्पनाथ राय जी ने कहा, इस देश की गुलामी में परिणत हुआ। सिराजुद्दौला की फौज में 40 हजार सिपाही थे, अंग्रेजों की फौज में 5 हजार, परन्तु बक्सर की लड़ाई में हिन्दुस्तान की फौज हार गई, क्योंकि किसान हल जोतता था, दुकानदार दुकानदारी का काम करता था, पंडित पंडिताई का काम करता था। उन्हें राजकाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजकाज में कुछ चुने हुए परिवार ही लगे रहा करते थे। कुछ लोग दरबारी का काम करते थे, राय मशविरा देने का, कुछ लोग हथियार चलाने का और कुछ लोग रुपये पैसे का हिसाब किया करते थे। समाज की व्यवस्था बिगड़ गई थी और उसने हमारी देश की नस को तोड़ दिया। यह सही है कि देश की जो सुविधा प्राप्त सेवाएँ हैं या अन्य जो सुविधायें हैं—जिनके बारे में जानकारी सरकार को है या नहीं, है, जानकारी होनी चाहिए—वे सुविधायें देश के तीन ही वर्गों, तीन ही जातियों के पास हैं जोकि द्विज के नाम से पुकारी जाती है, जिनका जन्म दो बार होता है। एक पैदा होकर और फिर संस्कार होने के बाद। ऐसे तीन लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों ने मिल कर इस देश के शासन-तंत्र, इस देश के हथियार तंत्र, इस देश के अर्थ तंत्र पर कब्जा कर रखा है और वह आज का नहीं है, वह 10-25 साल का भी नहीं है। वह तो सैकड़ों साल की कड़ी है जो कि हमारे समाज में चली आ रही है। यह जो प्रस्ताव है, यह बड़ा क्रान्तिकारी प्रस्ताव है। हम में से बहुत से लोग इस सदन में भिन्न-भिन्न

[श्री जगदीश प्रासाद जोशी]

हिस्सों से आकर बैठे हुए हैं। इसके लिये बहुत से लोग जेल भी गये हैं और आन्दोलन भी किये गये हैं और अपने जवानी के कीमती दिन इन सिद्धान्तों के लिये होम किये हैं। मैं चाहता हूँ कि रबी राय जी इस सिद्धान्त के साथ खिलवाड़ न करें। अब वह जिस हैसियत में हैं, अब हम उस हैसियत में नहीं रहे, प्रयास करके भी, लेकिन रबी राय, अब जनता पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि संविधान के परिवर्तन का प्रस्ताव तो यह सदन पास कर लेगा। मैं यह भी अपील करूँगा कि हम इसमें लम्बी तकरीर न करें, ज्यादा लम्बी बहस न हो। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कौन खराब था और खराब कौन नहीं था, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। यह सब अलग-अलग बातें हैं। कुछ चीजें कांग्रेस सरकार ने अच्छी कीं, कुछ चीजें हो सकता है कि जनता सरकार अच्छी करे। बुराइयाँ कांग्रेस में भी रही हैं और जनता पार्टी में भी होंगी। सरकार में जो बैठेगा वह काजल की कोठरी में बैठेगा। कुछ न कुछ तो दाग लगेगा ही। कांग्रेस को लगा है, जनता पार्टी को लगा है। इससे कोई बुरा नहीं हो सकता। मैं आपसे यह जरूर चाहता हूँ कि यह सदन आज अपने उठने के पहले इस प्रस्ताव को पास कर ले, हर कीमत पर इसे पास कर दे। और रबी राय जी, जनता पार्टी के जो महासमिति है, वहाँ इस प्रस्ताव को पास करके आने वाले सत्र में संविधान संशोधन लेकर विधि मंत्री आयें। रबी राय जी ने देखा होगा कि सदन के हर एक हिस्से ने लगभग इसका समर्थन किया है। इस प्रस्ताव की आत्मा से किसी को कोई मतभेद नहीं है, इसके मूल निर्देशों में किसी को कोई सन्देह नहीं है। इसलिये ऐसी चीज, जो कि सब लोगों की सहमति में हो, उस पर संविधान परिवर्तन में कोई दिक्कत आयेगी नहीं। आपकी अड़चन केवल यह सदन है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि

इस सदन में यह पास हो जायेगा। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि इसी बजट सत्र में संविधान में संशोधन का जो विधेयक आ रहा है, उसके साथ ही इसको भी जोड़ कर लाया जाय। माननीय गृह मंत्री और माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव को लाये हैं, वह कोई साधारण आदमी नहीं हैं, इस सदन के एक व्यक्तिगत सदस्य भर नहीं हैं, जनता पार्टी के महामात्य हैं और उनकी बात का वजन है, यह वचन हम लोगों को दें कि इसे इसी सत्र में लाया जायेगा। हमारा समर्थन लेने का उनको पूरा हक है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निवेदन करता हूँ कि अब देश में वह समय आ गया है जब कि हमें जल्द प्रयास कर के जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। हमें ऐसा भय लगता है कि यदि जाति व्यवस्था जल्द समाप्त न हुई तो इस देश में दो चार सालों के अन्दर क्या होगा, इसकी आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें कोई दोराय नहीं जिस उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था बनी थी अब वह उद्देश्य समाप्त हो गया है और उस वर्ण व्यवस्था ने शोषण व्यवस्था का स्वरूप ले लिया है। जो लोग ऊपर सुविधा की जगहों में थे वे नीचे के लोगों का शोषण शुरू कर दिए और जाति व्यवस्था आगे आ कर शोषक और शोषण की व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। आज हम देखते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में वह वे लोग जो कि वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, उन्होंने जाति संघर्ष शुरू करवा दिया है। चाहे बिहार का कुछ हिस्सा हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो। विशेषकर यह कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने वर्ग संघर्ष की आड़ में जाति संघर्ष शुरू कर दिया है। आगे चल कर के क्या होगा, कोई सोच भी नहीं सकता है। यह कहना कि जब से जनता पार्टी का उदय हुआ तभी से सारा शोषण शुरू हुआ इसके

पहले कुछ नहीं हुआ ऐसे मामलों पर पार्टी की लाइन नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे मामलों पर राष्ट्र का हित बहुत जोर से प्रभावित होता है, वहाँ दलों की बात नहीं करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे साथियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेज और सारी जगहों पर जातियों के आधार पर नियुक्ति की जाए, श्रीमन्, हमारे दोस्त भूल जाते हैं (Interruptions).

श्री रामानन्द यादव : मोरारजी देसाई ने (Interruptions).

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मोरारजी देसाई ने नहीं किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मामा को 70 साल की उम्र में कानपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया। मेरे पास 1001 उदाहरण हैं, मुझे मत छोड़ो। 70 साल की उम्र में सारे कानून तोड़ कर बना दिया। चुप रहिए। वाइस चांसलर की उम्र मेक्सिमम 65 साल की होती है। सारे कानून तोड़ कर 70 साल की उम्र में बना दिया।...

(Interruptions).

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। शाही जी को हम लोग सुनना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि शाही जी बोलें। शाही जी हमारे मित्र हैं और उनके विचार भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन बार-बार उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया ... (Interruptions) एक मिनट सुनिए (Interruptions) इसलिए ऐसी बात न कहें शाही जी जो उचित न हो... (Interruptions) मुझे कहने दीजिए...

(Interruptions) अभी बहस मैंने खत्म नहीं की है, आप सुन लें। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनको श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, वाइस चांसलर

बनाया और ये मुख्य मंत्री का डिस्क्रिशन है वाइस चांसलर के बनाने का... (Interruptions). जिस काम को उन्होंने किया उसमें आप ले रहे हैं नाम इंदिरा गांधी का। यह कौन सा तरीका है ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं कह रहा था ... (Interruptions.) और अगर जातियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट्स में नियुक्तियाँ होंगी, तो उसके बाद जातियों के आधार पर मुकदमों के फैसले होने शुरू हो जायेंगे। एक तो यह और दूसरा किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 25-50 या सौ स्थान होंगे यदि आपके देश में। हजार जातियाँ हैं और आप जातियों के आधार पर नियुक्तियाँ करेंगे तो भी सभी जातियों को स्थान नहीं मिलेगा, आप अगर कह देंगे कि हर जाति का आदमी राष्ट्रपति हो तो उसका नतीजा यह होगा कि हजारों वर्षों तक भी मौका नहीं आयेगा। बारी-बारी से हो तब भी हजारों वर्ष बाद मौका आयेगा। अगर आप यह कह दें कि हर जाति का आदमी केन्द्रीय मंत्रि मंडल में हो तो आपके देश में हजारों जातियाँ हैं... (Interruptions.) हाँ, यह सही है कि एक जाति का न हो। मैं, श्रीमन्, यह कह रहा था कि इस जाति पाति में जो शोषण निहित है, उसका इलाज जाति को और बढ़ाना नहीं है, उसका इलाज जाति को तोड़ना है। एक ही इलाज है कि जाति को तोड़ा जाय। जाति के आधार पर बंटवारा इसका कोई इलाज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अब छोड़िये क्योंकि शोषण का अब खात्मा हो रहा है। जब तक शोषण किया तब तक बनाये रखा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ कि मैं भूमिहार नहीं हूँ मैं भी बैकवाड हूँ। मैं कह रहा था कि जाति पाति में जो दोष निहित हैं और जिसके कारण यह सभी चीजें हैं उसका एक ही इलाज है कि जातियों को समाप्त

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

किया जाय और जातियों को समाप्त करने का एक ही आधार है आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाय। जातियों के पीछे जो विषमता है, जो शोषण है वह आर्थिक कारण से है। चूंकि हरिजनों का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, हरिजनों का बच्चा ट्यूटर नहीं रख सकता है, इसलिए वह कभी भी आफिसर नहीं बन सकता है। वह कभी भी परीक्षा में आगे नहीं जा सकता है और इसलिए कभी आफिसर नहीं हो सकता है। आर्थिक आधार ही सारी विषमताओं की जड़ है। इसलिए अगर कोई रिजर्वेशन होना चाहिए या संगठन होना चाहिए तो वह आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। जब यह चीज गमं हुई है, तब आज से एक महीना पहले यह मामला जय प्रकाश जी के सामने पेश हुआ था। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि अब संरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो, अगर वह गरीब है तो सारे गरीबों की एक जाति है और सारे अमीरों की एक जाति है। मैं साफ कहना चाहता हूं, श्रीमन्, अगर कोई हरिजन करोड़पति है तो वह बिड़ला के साथ है, वर्मा के साथ नहीं है। वर्मा जी की बिरादरी के हैं। अगर वे करोड़पति हैं तो बिड़ला जी के साथ हैं, वर्मा जी के साथ नहीं हैं।

5 P.M.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : 1000 में 999 मिलेंगे मजदूर। उसके लिए बिड़ला जी से तुलना नहीं हो सकती।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इसलिए मजदूरों की एक जाति होती है। मजदूरों का बंटवारा जाति के आधार पर मत कीजिए। गरीबों की एक ही जाति होती है। गरीबों का बंटवारा जाति के आधार पर मत कीजिए। अमीरों की एक जाति होती है, उनका बंटवारा जाति के आधार पर मत कीजिए (Interruptions)

जितने अमीर हैं, चाहे वह किसी जाति के हों, उनकी एक जाति है और वह अमीरों की जाति है, मिल-मालिकों की जाति है, शोषकों की जाति है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : सारे बनिए मिल-मालिक हैं। यहां का हर आदमी जात के आधार पर है। कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैंने अपनी आंखों से देखा है चमार कलेक्टर का जूता ब्राह्मण चपरासी उठा रहा है। (Interruptions) डा० लोहिया ने कहा था, जब भाषा का विवाद पैदा हुआ कि उत्तर भारत के लोगों को अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करना चाहिए और यह फैसला कर दो कि आने वाले 10 साल तक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० इन सारी नौकरियों में केवल अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होंगे। उसी तरह से मैं कहता हूं यह फैसला कर लीजिए कि आने वाले 10 साल तक ऊपर की जितनी पोस्ट हों, जितने इम्तिहान हों, उन में से केवल हरिजन और बैकवर्ड जातियों के लोग प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जाति के आधार पर मत दीजिए। एक फैसला कर लीजिए कि केवल बैकवर्ड जाति के लोग

श्री रामानन्द यादव : शाही जी इधर से उधर बोल रहे हैं कि उधर से इधर बोल रहे हैं ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं इधर से ही बोल रहा हूं। मैं जाति के आधार पर बंटवारा नहीं चाहता कि बंटवारा हो हर जगह पर, एक हजार जातियों में बंटवारा हों। अगर 100 जगह आई० ए० एस० की हों और एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक कायस्थ एक बनिया, एक लुहार, एक बुनकार, एक धुनिया—इस तरह से बंटवारा देश का हुआ तो देश को तोड़ देगा। आगे के लोगों को रोक दो आगे जाने से। जो लोग आगे है समाज में, उनको आगे जाने से रोक दो ; जो पीछे

पीछे के लोग हैं उनको आगे कर दो। यह फैसला कर लो कि आगे दस साल के लिए केवल हरिजन, केवल बैकवर्ड लोग ही आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में एंजॉइंट होंगे, ऊंची जातियों के नहीं होंगे। इस फैसले का नतीजा यह होगा कि जाति-पांति नहीं बढ़ेगी। आज के मुझाव से बहुत जातपांत देश में बढ़ेगी, देश टूटेगा, देश समाप्त होगा। इसलिए आप ऐसा विचार मत व्यक्त कीजिए, जिससे देश कमजोर हो, जिससे देश टूटे। इसलिए इसका एक ही इलाज श्रीमन्, है। इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है वह डा० लोहिया की भावना है। डा० लोहिया की भावना यह थी कि जो लोग आज पीछे हैं, समाज में उन को आगे करो। इसी लिए उन्होंने सारी महिलाओं को चाहे वे किसी जाति का ह, 60 फी सदी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि आज महिला जो शोषित है समाज में, उसको भी 60 फी सदी में शामिल करो। (Interruptions.) आप 60 की बात करते हैं, मैं 100 कहता हूँ। डा० लोहिया ने कहा था कि गैर हिंदी भाषियों को सारे पद दे दो, 10 साल तक उनमें कोई हिंदी भाषी नहीं जाए। उसी तरह से मैं कहता हूँ आगे के 10 सालों के लिए केवल हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को 60 प्रतिशत जगह दे दो। मुसलमान भी उसमें आ जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर कोई संरक्षण हो तो वह आर्थिक आधार पर हो। डा० लोहिया, जयप्रकाश

जी, आदि सभी के यही विचार हैं। समाजवाद का यही सिद्धान्त है। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था न की जाय कि जिससे जाति-पांति बढ़े। मेरे गांव में 5 हजार की आबादी है और उस में सब से गरीब अगर कोई परिवार है तो वह दो ब्राह्मण परिवार है। अलावा भिजा के उन के पास कोई जरिया नहीं है आमदनी का और यादव जी, हमारे ही गांव में 100 घर यादवों के है जो सभी संपन्न हैं।

श्री रामानन्द यादव : इसी लिये आप मेरे खिलाफ हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप मेरे दोस्त हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि जातिवाद समाप्त हो और संरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार को 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 27th February, 1978.